24

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

सभी एम्सों की प्रगति की समीक्षा

[प्राक्कलन समिति के 12वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

प्राक्कलन समिति
(2022-23)

चौबीसवां प्रतिवेदन

(सत्रहवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

चौबीसवां प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

सभी एम्सों की प्रगति की समीक्षा

[प्राक्कलन समिति के 12वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

(21 मार्च, 2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2023/फाल्गुन, 1944 (शक)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

प्राक्कलन समिति (2022-23) की संरचना		(ii)
प्राक्कथन		(iv)
अध्याय एक	प्रतिवेदन	1
अध्याय दो	टिप्पणियां/ सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है	25
अध्याय तीन	टिप्पणियां/ सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती है	46
अध्याय चार	टिप्पणियांसिफारिशें /, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं	47
अध्याय पांच	टिप्पणियांसिफारिशें /, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं	52

परिशिष्ट

एक.	दिनांक16.03.2023 को हुई प्राक्कलन समिति की 16 वीं बैठक का कार्यवाही सारांश	60
दो.	प्राक्कलन समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण	62

प्राक्कलन समिति (2022-23) की संरचना

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट – सभापति

सदस्य

2. कुंवर दानिश अली
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री सुदर्शन भगत
5. श्री हरीश द्विवेदी
6. श्री केसिनेनी श्रीनिवास
7. श्री पी. पी. चौधरी
8. श्री पी. सी. गद्दीगौदर
9. श्री निहाल चन्द चौहान
10. डॉ. संजय जायसवाल
11. श्री धर्मेन्द्र कश्यप
12. श्री मोहनभाई कुंडारिया
13. श्री जुएल ओराम
14. श्री के. मुरलीधरन
15. श्री दिलीप शइकीया
16. श्री कमलेश पासवान
17. डॉ. के. सी. पटेल
18. कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन राठौर
19. श्री विनायक भाऊराव राऊत
20. श्री अशोक कुमार रावत
21. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी
22. श्री राजीव प्रताप रूडी
23. श्री फ्रांसिस्को सर्दिन्हा
24. श्री जुगल किशोर शर्मा
25. श्री प्रताप सिम्हा
26. श्री पिनाकी मिश्रा
27. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव
28. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे
29. श्री श्याम सिंह यादव
30. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा

सचिवालय

1. श्रीमती अनीता भट्ट पांडा	अपर सचिव
2. श्री मुरलीधरन. पी	निदेशक
3. श्री बलराम साहू	उप निदेशक

प्राक्कथन

मैं, प्राक्कलन समिति (2022-23) का सभापति, समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित ''सभी एम्सों की प्रगति की समीक्षा'' विषय संबंधी समिति (2021-22) के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी इस चौबीसवें प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता हूं।

2. प्राक्कलन समिति (2021-22) के 12वें प्रतिवेदन को 21 दिसम्बर, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। सरकार ने 4 अगस्त, 2022 को 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई को दर्शाते हुए अपने उत्तर भेजे हैं। समिति द्वारा 16 मार्च, 2023 को प्रारूप प्रतिवेदन को विचारोपरांत स्वीकार किया।

3. प्राक्कलन समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट दो में दिया गया है।

नई दिल्ली
16 मार्च, 2023
25 फाल्गुन, 1944 (शक)

गिरीश भालचन्द्र बापट
सभापति
प्राक्कलन समिति

अध्याय एक

प्रतिवेदन

यह प्रतिवेदन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित ''सभी एम्स की प्रगति की समीक्षा'' विषय पर समिति के बारहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है।

2. बारहवां प्रतिवेदन 21 दिसंबर, 2021 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। इसमें 18 टिप्पणियां/सिफारिशें सम्मिलित थीं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार सरकार द्वारा की गई कार्रवाई उत्तर प्राप्त हो गए हैं।

3. प्रतिवेदन में निहित टिप्पणियों/सिफारिशों के उत्तरों को मुख्य रूप से निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:-

(i) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:
सिफारिश पैरा सं. 1,4,5,6,7,9,13,14,16,17,18

कुल -11

(अध्याय दो)

(ii) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तर को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती:
सिफारिश 10

कुल -1

(अध्याय तीन)

(iii) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं:
सिफारिश पैरा सं. 2,3

कुल-2

(अध्याय चार)

(vi) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं:
सिफारिश सं. 8,11,12,15

कुल -4

(अध्याय पांच)

4. समिति चाहती है कि अध्याय एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की गई कार्रवाई टिप्पण और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों, जिनके लिए सरकार द्वारा अंतरिम उत्तर दिए गए हैं, के संबंध में की गई अंतिम कार्रवाई को सभा में इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने के छह माह के भीतर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

5. समिति अब उन टिप्पणियों/सिफारिशों पर विचार करेगी, जिन्हें दोहराए जाने अथवा जिन पर आगे टिप्पणियां किए जाने की आवश्यकता है।

टिप्पणियां/सिफारिशें (पैरा संख्या 2)

6. मूल 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट अपनी सिफारिशों में समिति ने निम्नानुसार कहा था:

सभी नए एम्स की स्थिति में समानता लाने की जरूरत

"एम्स, नई दिल्ली और अन्य छह नए एम्स की स्थिति के बीच अंतर के मुद्दे पर, समिति को सूचित किया गया है कि उनके संचालन के वर्षों में, ये एम्स, अधिनियम के दायरे से बाहर रहे और एक केंद्रीय शीर्ष संस्था द्वारा शासित थे; इसलिए, इन एम्स की कुछ विशेषताएं एम्स, नई दिल्ली से अलग हैं। उदाहरणार्थ, एम्स, नई दिल्ली, में कुछ विभागों को विभिन्न केन्द्रों जैसे- राजेंद्र प्रसाद सेंटर फॉर ऑप्थल्मोलॉजी, कार्डियो एंड न्यूरो सेंटर, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट को और अधिक वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां सौंपी गई हैं और उनके अपने प्रशासनिक और क्रय अधिकारी हैं। अन्य एम्स संस्थानों में ऐसा नहीं है। एम्स, नई दिल्ली में एक निदेशक और चिकित्सा अधीक्षक है, और एक केंद्रीकृत ढांचा है जबकि अन्य एम्स में कार्यकारी निदेशक और विभाग प्रमुख हैं। पिछले कुछ वर्षों में, एम्स, नई दिल्ली में, अब 31 स्पेशियलिटी और 20 सुपर स्पेशियलिटी हैं। यहां एमडी, एमएस, डीएम, एमसीएच और रोगी देखभाल सेवाओं कि शिक्षा दी जाती है। यद्यपि, नए एम्स में 17 सुपर स्पेशियलिटी और 18 स्पेशियलिटीज हैं। एम्स, नई दिल्ली द्वारा पांच पैरामेडिकल साइंसेज और एमएससी के लिए नौ स्नातक कार्यक्रम (यूजी पाठ्यक्रम) चलाए जाते हैं जिनमें से अधिकांश अन्य एम्स में नहीं हैं। एम्स, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न स्पेशियलिटीज़ में 33 एकवर्षीय फैलोशिप पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं जो अन्य एम्स में नहीं है। एम्स, नई दिल्ली आमतौर पर रिक्त संकाय पदों के लिए विज्ञापनों के संबंध में प्राप्त होने वाले आवेदनों के लिए एक महीने की समय अवधि का पालन करता है जबकि अन्य एम्स में, एक वर्ष की वैधता के साथ विज्ञापनों को चलाने या दिए जाने की व्यवस्था है।

समिति का दृढ़ विचार है कि जब सभी नए एम्स, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम 1956 द्वारा शासित हो रहे हैं, जिसमें वर्ष 2012 में संशोधन किया गया था, तो उपकरण की खरीद के लिए प्रत्यायोजित वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों तथा एम्स, दिल्ली और अन्य एम्स में विशिष्टताओं और सुपर स्पेशियलिटी शिक्षण के मामले में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। यदि असमानता इसी प्रकार जारी रही तो लोग दूसरे एम्स जाने के बजाय एम्स नई दिल्ली में ही भागते रहेंगे। परिणामस्वरूप, सस्ती/विश्वसनीय क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का उद्देश्य सपना मात्र बन के रह जाएगा। इसलिए, समिति पुरजोर यह सिफ़ारिश करती है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सभी एम्स संस्थानों को एम्स, नई दिल्ली के समान ही दर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए।"

7. **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नानुसार बताया:**

"एम्स, विनियम, 2019 में विभिन्न पदाधिकारियों की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को परिभाषित किया गया है, जो सभी एम्स पर समान रूप से लागू होते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशकों की वित्तीय शक्तियां संबंधित एम्स के शासी निकाय/संस्थान निकाय के अनुमोदन से प्रत्यायोजित की गई हैं। पीएमएसएसवाई के तहत नए एम्स की तुलना में एम्स, नई दिल्ली के संचालन के बहुत बड़े स्तर को ध्यान में रखते हुए, निदेशक, एम्स, नई दिल्ली की प्रत्यायोजित वित्तीय शक्ति अधिक है। जहां तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की तुलना में कम संख्या में स्पेशियलिटी और सुपर स्पेशियलिटी विभागों वाले नए एम्स का संबंध है, यह बताया गया है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान छह दशकों से अधिक समय से कार्य कर रहा है और इसने देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख संस्थान के रूप में स्वयं को स्थापित किया है। संस्थान में सुपर-स्पेशियलिटी और सुपर-स्पेशियलिटी विभागों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में चिकित्सा विज्ञान में प्रगति, सुपर-स्पेशियलिस्ट की उपलब्धता और संस्थान के सक्षम निकायों के अनुमोदन के साथ बढ़ी है। जहां तक नए एम्स का संबंध है, संस्थान की स्थापना के हिस्से के रूप में 18 स्पेशियलिटी और 17 सुपर-स्पेशियलिटी विभागों का प्रावधान है। तथापि, जैसे-जैसे संस्थान बढ़ते हैं और सुपर-स्पेशियलिस्ट की उपलब्धता के आधार पर, ये संस्थान अपने सक्षम निकायों के अनुमोदन से और अधिक विभागों की स्थापना भी कर सकते हैं।"

8. **समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि उपस्करों की खरीद के लिए प्रत्यायोजित वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के संदर्भ में और स्पेशियलिटी और सुपर-स्पेशियलिटी संबंधी शिक्षण के संदर्भ में एम्स, नई दिल्ली और अन्य एम्स के बीच अंतर न हो। मंत्रालय ने अब अपने उत्तर में बताया है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली का इतना विकास इसलिए हुआ है क्योंकि यह छह दशकों से अधिक समय से कार्य कर रहा है और इसने स्वयं को देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख संस्थान के रूप में स्थापित किया है। यह भी बताया गया है कि जैसे-जैसे अन्य एम्स का विकास होता है, वे भी अधिक विभाग स्थापित कर सकते हैं। समिति का विचार है कि जब सभी एम्स एक ही अधिनियम नामत: संशोधित एम्स अधिनियम के माध्यम से शासित होते हैं, तो उपस्करों की खरीद के लिए प्रत्यायोजित वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के संदर्भ में और सभी एम्स में स्पेशियलिटी और सुपर-स्पेशियलिटी रखने के संदर्भ में एकसमानता होनी चाहिए ताकि नए एम्स भी स्वयं को एम्स, नई दिल्ली के बराबर ला सकें। चूंकि 6 एम्स अब लगभग 11 वर्ष पुराने हैं, अत:, समिति यह चाहती है कि उनमें से प्रत्येक में बाद में शामिल की गई स्पेशियलिटी के बारे में उसे अवगत कराया जाए, ताकि रोगी सेवाओं के संदर्भ में उनकी वास्तविक विकास के साथ-साथ उनके प्रमुखों की वित्तीय शक्तियों, यदि कोई हो, का पता लगा सके ।**

<u>टिप्पणियां/सिफारिशें (पैरा संख्या 3)</u>

सभी एम्स में निदेशक के पदों में समानता लाने की आवश्यकता

9. मूल 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट अपनी सिफारिशों में समिति ने निम्नानुसार कहा था:

"समिति यह नोट करके आश्चर्यचकित है कि एम्स दिल्ली को छोड़कर, जिसके प्रमुख निदेशक (65 वर्ष की आयु सीमा के साथ) हैं, जबकि अन्य नए 16 एम्स के प्रमुख कार्यकारी निदेशक (70 वर्ष की आयु सीमा) हैं, जो समग्र रूप से संस्था के प्रभारी हैं। समिति को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा मौखिक साक्ष्य के दौरान और अपने लिखित उत्तरों में सूचित किया गया है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) की घोषणा 15 अगस्त, 2003 को एम्स, नई दिल्ली में उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं की तर्ज पर छह नए अस्पतालों की स्थापना के लिए की गई थी। इस घोषणा के अनुसरण में, नवंबर 2004 में व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के समक्ष एक प्रस्ताव रखा गया था, व्यय वित्त समिति ने बिहार में पटना, छत्तीसगढ़ में रायपुर, मध्य प्रदेश में भोपाल, ओडिशा में भुवनेश्वर, जोधपुर में राजस्थान और उत्तराखंड में ऋषिकेश छह एम्स जैसे प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों की स्थापना को मंजूरी दी थी।

व्यय वित्त समिति ने सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक केंद्रीय शीर्ष संस्था के गठन को भी मंजूरी दी जिसका दायित्व एम्स जैसे इन छह संस्थानों की स्थापना और इनका संचालन करना है। ईएफसी की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, इस प्रस्ताव को मार्च 2006 में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति के पास भेजा गया और सीसीईए ने इन संस्थानों की स्थापना और संचालन के लिए छह एम्स जैसे संस्थानों के साथ-साथ एक केंद्रीय शीर्ष संस्था के गठन को मंजूरी दी। लागत वृद्धि के कारण, संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) को मंजूरी देते हुए, फरवरी 2010 में एक प्रस्ताव फिर से मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया। आरसीई को मंजूरी देते हुए, मंत्रिमंडल ने इन छह एम्स- जैसे संस्थानों की स्थापना और संचालन में सेंट्रल एपेक्स सोसाइटी की भूमिका को भी रेखांकित किया। इसलिए, वर्ष 2006 से सितंबर 2012 तक, एम्स जैसे ये संस्थान एम्स अधिनियम का हिस्सा नहीं थे और इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर थे, जोकि एक केंद्रीय शीर्ष संस्था द्वारा शासित थे। सितंबर 2012 में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, में एक संशोधन किया गया था, जिसे अधिसूचित किया गया था। इस संशोधन में अधिनियम की धारा 27 (क) के अधीन इन नए एम्स जैसे संस्थानों को शामिल किया गया और यह उपबंध किया गया कि अधिनियम के सभी प्रावधान इन संस्थानों पर भी लागू होंगे। सितंबर 2012 में उन छह एम्स को संशोधित एम्स अधिनियम का एक भाग बनाए जाने का निर्णय लेने के पश्चात केंद्रीय शीर्ष संस्था का अस्तित्व समाप्त हो गया। समिति नोट करती है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम कि धारा 11 यह उपबंध करती है कि संस्थान का एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) होगा जिसे संस्थान के निदेशक के रूप में नामित किया जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 2019 की धारा 31 में इस संबंध में उपबंध है कि निदेशक का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होगा।

इस दौरान, शीघ्र संचालन तथा एम्स, नई दिल्ली और अन्य राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आईएनआई), साथ ही साथ अन्य प्रमुख संस्थानों से प्रतिष्ठित संकाय को आकर्षित करने तथा नए एम्स और स्थापित किए जाने वाले एम्स का नेतृत्व करने के उद्देश्य से नवंबर 2018 में व्यय विभाग और माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के अनुमोदन से निदेशक पद के साथ/या आधार पर कार्यकारी निदेशक (ईडी) का एक पद बनाने का एक नीतिगत निर्णय लिया गया था, जोकि संस्थान के सीईओ के रूप में कार्य करेगा। सीआईबी ने नए एम्स के लिए दो पदनामों को मंजूरी दी थी। एक पदनाम निदेशक का है जिसके लिए अधिनियम में 65 वर्ष की आयु निर्धारित है। दूसरा पदनाम 'कार्यकारी निदेशक' का है जिसे सीआईबी ने पुन: मंजूरी दे दी है जिसके लिए आयु सीमा 70 वर्ष है।

स्पष्टीकरण के लिए यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार को इस तरह का निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने हेतु अधिनियम में एक समर्थकारी उपबंध किया गया है, समिति को सूचित किया गया है कि अधिनियम की धारा 11(4) में यह उपबंध है कि, "इस तरह के नियमों के अधीन जो केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए जा सकते हैं, संस्थान अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कार्यों के निर्वहन हेतु उतनी संख्या में अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है जो कि आवश्यक हो और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के पदनाम और ग्रेड का निर्धारण भी कर सकता है।" समिति का दृढ़ विचार है कि इस अधिनियम का उपबंध कहता है कि संस्थान के निदेशक या अन्य अधिकारी संस्थान के कर्मचारी हैं। इसलिए, अन्य अधिकारी और कर्मचारी निदेशक से वरिष्ठ नहीं हो सकते। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने समिति के समक्ष स्पष्ट रूप से यह कहा है कि अधिनियम में कार्यकारी निदेशक का उल्लेख नहीं है।

समिति नोट करती है कि अधिनियम में कार्यकारी निदेशक का उल्लेख नहीं है और सीआईबी के साथ-साथ, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और वित्त मंत्रालय तथा व्यय विभाग की सहमति के बाद निर्णय लिया गया ताकि नए एम्स के शीघ्र संचालन के उद्देश्य से और एम्स, नई दिल्ली और अन्य राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आईएनआई), साथ ही अन्य प्रमुख संस्थानों से प्रतिष्ठित संकाय को नए तथा स्थापित किए जाने वाले एम्स का नेतृत्व करने हेतु आकर्षित किया जा सके। समिति नए एम्स की स्थापना के समय उच्चतम स्तर पर लिए गए निर्णय की तात्कालिकता को स्वीकार करती है लेकिन साथ ही इस बात पर जोर देना चाहती है कि नए एम्स की स्थापना के लिए ईएफसी की मंजूरी के बाद 17 साल पूरे हो चुके हैं और मंत्रालय के पास पर्याप्त अनुभव है। इसलिए, अब उन्हें नए एम्स का नेतृत्व करने हेतु कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति के बजाय प्रत्येक नए एम्स में निदेशक की नियुक्ति के लिए अधिनियम के उपबंध का सख्ती से अनुपालन करना चाहिए। समिति एम्स को चिकित्सा उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में देखना चाहती है जो केवल व्यवहार्यता और अनुभवी प्रतिभाओं के साथ ही संभव होगा; जो 70 वर्ष की आयु सीमा के साथ व्यवहार्य नहीं लगता है।

समिति का दृढ़ विचार है कि मंत्रालय को नए एम्स में निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए नई प्रतिभाओं के कैरियर के अवसरों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए, समिति पुरजोर सिफ़ारिश करती है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नए एम्स की गुणवत्ता से कोई समझौता न करने के लिए सभी उपाय करें और पीएमएमएसवाई योजना के उद्देश्य को सुनिश्चित करें अर्थात देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा दे और एम्स अधिनियम के उपबंध का सख्ती से पालन करे।"

10. **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नानुसार बताया:**

"वर्तमान में, जोधपुर, रायपुर, नागपुर और मंगलगिरी में एम्स का नेतृत्व निदेशकों द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में किया जाता है। जैसा कि समिति को पहले सूचित किया गया है, एम्स, नई दिल्ली और अन्य राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आईएनआई) के साथ-साथ अन्य प्रमुख संस्थानों के प्रतिष्ठित संकाय सदस्यों को नए और आगामी एम्स का नेतृत्व करने हेतु आकर्षित करने के उद्देश्य से, व्यय विभाग तथा माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की स्वीकृति से निदेशक के पद के साथ कार्यकारी निदेशक (ईडी) का पद रखने का निर्णय लिया गया था, जो संस्थान के सीईओ के रूप में कार्य करेंगे। ईडी के मामले में, नियुक्ति अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक हो सकती है, विचार के लिए पात्रता की ऊपरी आयु सीमा 67 वर्ष है।हालांकि ईडी के चयन का तरीका निदेशक के पद के लिए निर्धारित तरीके के समान होगा। साथ ही, ईडी के रूप में नियुक्ति के लिए विचार के लिए योग्यता और अनुभव के संबंध में पात्रता मानदंड निदेशक के पद के समान होगा।

तथापि, समिति की सिफारिशों को नोट कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि ऊपर बताया गया है, निदेशक/कार्यकारी निदेशक का पद या तो निदेशक या कार्यकारी निदेशक आधार पर कार्य करेगा, जिसमें मंत्रालय से यह छूट रहेगी कि वह निदेशक को संस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करे।"

11. **यह विचार रखते हुए कि मंत्रालय को नए एम्स में निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए नई प्रतिभा और मौजूदा प्रोफेसरों के कैरियर के अवसरों के साथ-साथ तुलनात्मक रूप से कम उम्र के उम्मीदवारों की शारीरिक व्यवहार्यता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, समिति को यह नोट किया कि एम्स, नई दिल्ली को छोड़कर, जिसका नेतृत्व एक निदेशक (65 वर्ष की आयु सीमा के साथ) द्वारा किया जाता है, अन्य 16 नए एम्स का नेतृत्व संस्थान के प्रभारी के रूप में एक कार्यकारी निदेशक (70 वर्ष की आयु सीमा के साथ) द्वारा किया जा रहा है मंत्रालय के की गई कार्रवाई के उत्तर में बताया गया है कि उन्होंने कार्यकारी निदेशक के पद के संबंध में व्यय विभाग और माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की स्वीकृति से लिए गए नीतिगत निर्णय के बारे में समिति को पहले ही सूचित कर दिया है। मंत्रालय ने यह कहते हुए भी इसे उचित ठहराया है कि यह अन्य प्रीमियम संस्थानों से प्रतिष्ठित संकाय को आकर्षित करने के लिए है। चूंकि समय के साथ कई एम्स**

कार्य करने लगे हैं, इसलिए समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के संकाय/कार्यकारी अधिकारियों को एम्स-वार, जो इन संस्थानों के सीईओ/निदेशकों/ईडी के बारे में रिपोर्ट किए गए नीतिगत निर्णय के परिणामस्वरूप उन एम्स में शामिल हुए हैं, उनके संबंधित विशेषज्ञता के क्षेत्रों के साथ-साथ अनुभव और उपलब्धियां, यदि कोई हो, के बारे में समिति को अवगत कराया जाए।

टिप्पणियां/सिफारिशें (पैरा संख्या 5)

12. देश में एम्स जैसे और संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव

"समिति ने यह पाया है कि मंत्रालय की देश के प्रत्येक राज्य में चरणबद्ध तरीके से एम्स स्थापित करने की योजना है। मंत्रालय को कर्नाटक, केरल, गोवा, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम और मणिपुर से अपने राज्यों में एम्स जैसे संस्थान स्थापित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। जांच के दौरान, समिति को यह बताया गया है कि लागत लाभ विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय वर्तमान में, एम्स गुवाहाटी के अलावा, उत्तर पूर्व राज्य में किसी अन्य एम्स पर सक्रिय रूप से विचार नहीं कर रहा है। समिति नोट करती है कि केरल राज्य सरकार ने चार स्थानों अर्थात तिरुवनंतपुरम में नेट्टुकलथेरी, जो हवाई अड्डे के बहुत पास है; केरल के उत्तरी भाग में कालीकट में औद्योगिक संपदा भूमि; मेडिकल कॉलेज के पास कोट्टायम; और कलामास्सेरी में एचएमटी भूमि, पर भूमि की पहचान की है लेकिन एम्स की स्थापना का अनुरोध अभी भी लंबित है। जांच के दौरान पूछे जाने पर, मंत्रालय ने समिति को बताया कि उसने वित्त मंत्रालय से केरल में एम्स की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी देने का अनुरोध किया है। समिति आशा करती है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग पीएमएसएसवाई के अगले चरण में प्रत्येक राज्य में एम्स जैसे संस्थान की स्थापना के लिए सक्रिय कदम उठाएंगे और इसे 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में शामिल करेंगे। समिति चाहती है कि मंत्रालय अन्य राज्यों के अनुरोधों पर पुनर्विचार करे और प्रत्येक राज्य में समयबद्ध तरीके से एम्स जैसे संस्थान स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।"

13. **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नानुसार बताया:**

"समिति की सिफारिशों पर ध्यान दिया गया है और इस मामले को वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाया जाएगा।"

14. **समिति ने यह पाया कि मंत्रालय की चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक राज्य में एम्स स्थापित करने की योजना है और उन्हें कर्नाटक, केरल, गोवा, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम और मणिपुर से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में, मंत्रालय लागत-लाभ विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए गुवाहाटी के अलावा किसी अन्य एम्स पर सक्रिय रूप से विचार नहीं कर रहा है। समिति यह जानना चाहती है कि क्या मंत्रालय की इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आरआईएमएस अथवा पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसी अन्य चिकित्सा संस्थान का उन्नयन करने की योजना है कि गुवाहाटी में केवल एक एम्स सभी पूर्वोत्तर राज्यों के निवासियों के लिए स्पेशियलिटी/सुपर स्पेशियलिटी उपचारों के लिए सुलभ/पर्याप्त नहीं हो सकता है। केरल के मामले में समिति इस बात से प्रसन्न है कि मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से एम्स की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन देने का अनुरोध किया है और यह भी कहा है कि इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जाएगा। चूंकि मामला अभी भी लंबित है, इसलिए समिति आगे दोहराती है कि केरल में एक एम्स की स्थापना शीघ्र ही करने की आवश्यकता है क्योंकि राज्य सरकार ने इसके लिए पहले ही हवाई अड्डे के पास भूमि का प्रस्ताव कर चुकी है। अन्य राज्यों में भी एम्स पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाए और मंत्रालय द्वारा एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना करने अथवा राज्यों में मौजूदा संस्थानों के उन्नयन के लिए उठाए गए कदमों, जिनके आवेदन लंबित हैं, का ब्योरा इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने के छह महीने के भीतर समिति को भेजा जाए।**

<u>टिप्पणियां/सिफारिशें (पैरा संख्या 6)</u>

नए एम्सों की स्थापना हेतु दिशानिर्देशों में प्रत्येक कदम के लिए समय-सीमा निर्धारित किए जाने की आवश्यकता

15. मूल 12वें प्रतिवेदन में निहित अपनी सिफारिशों में समिति ने निम्नानुसार कहा था:

"भारत में किसी भी स्थान पर एक नया एम्स स्थापित करने की प्रक्रिया वित्त मंत्री द्वारा इसकी घोषणा के साथ शुरू होती है, इसके बाद संबंधित राज्य सरकार द्वारा भूमि स्थल की पेशकश की जाती है जहां एम्स स्थापित किया जाना है।

समिति नोट करती है कि आरंभ में मंत्रालय ने पीएमएसएसवाई योजना के कार्यान्वयन के लिए कोई दिशानिर्देश तैयार नहीं किया था और समय-समय पर जारी निर्देशों और केंद्रीय परियोजना निगरानी

समिति (पीएमसी) द्वारा मामले के आधार पर लिए गए निर्णयों द्वारा निर्देशित किया जाता था। इसके परिणामस्वरूप निधि प्रबंधन, सलाहकारों के चयन, परियोजना कार्य का काम सौंपने, संविदा के प्रबंधन प्रदान करने के संबंध में कई तदर्थ निर्णय लिए गए। वर्ष 2018 में, पूर्व मामलों से अनुभवों और सीख लेते हुए, पीएमएसएसवाई योजना हेतु दिशानिर्देश तैयार करने के लिए दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया था।

समिति को सूचित किया गया कि मंत्रालय ने सभी हितधारकों अर्थात राज्य सरकारों को उनके इनपुट के लिए "पीएमएसएसवाई योजना के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश" का मसौदा परिचालित किया था। कुछ राज्यों से रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस संबंध में टिप्पणियाँ तेजी से करने के लिए सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सभी राज्य सरकारों को अनुस्मारक जारी किए गए हैं। हालांकि, योजना के कार्यान्वयन से सीख लेते हुए, परियोजना की अवधारणा, निष्पादन और क्रियात्मकता की प्रक्रिया को सरल बनाया है।

समिति नोट करती है कि अब एम्स की स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक सुपरिभाषित चेकलिस्ट/मानक दस्तावेज उपलब्ध हैं। हालांकि, समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि पीएमएमएसवाई की घोषणा के 18 साल बाद भी, पीएमएमएसवाई योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों के मसौदे पर कुछ राज्य सरकारों के इनपुट अभी भी प्रतीक्षित हैं और नए एम्स की स्थापना के लिए चेक लिस्ट में उल्लिखित प्रत्येक चरण के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है जैसा कि अध्याय- तीन में वर्णित है। समिति का दृढ़ रूप से यह मानना है कि दिशानिर्देशों के प्रत्येक कार्य बिंदु में समय-सीमा निर्धारित किए बिना, मंत्रालय प्रगति की प्रभावी रूप से निगरानी नहीं कर पाएगी। इसलिए समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि मंत्रालय प्रत्येक कार्ययोजना हेतु समय सीमा निर्धारित करे और निर्धारित समय-सीमा का पालन करने के लिए समेकित कदम उठाए। समिति को इस संबंध में उठाए गए कदमों से अवगत कराया जाए।"

16. **अपने की गई कार्रवाई उत्तर में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:**

"सभी हितधारकों की टिप्पणियां/इनपुट प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के लिए प्रारूप दिशा-निर्देश 17 जनवरी, 2020 के पत्र द्वारा परिचालित किए गए थे जिसमें प्रस्तावित दिशा-निर्देशों पर उनकी बहुमूल्य टिप्पणियों/फीडबैक भेजने का अनुरोध किया गया था।

चार राज्यों, बिहार, मध्य प्रदेश, ओड़िशा और सिक्किम से टिप्पणियां प्राप्त हो चुकी है। तथापि, अधिकांश हितधारकों से टिप्पणियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

यद्यपि इसके लिए अनुस्मारक भेजे गए थे, परंतु बहुत कम राज्यों से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई हैं। इसका एक संभव कारण कोविड महामारी भी हो सकती है जिसका प्रबंधन करना केंद्र के साथ-साथ राज्य स्तरों पर स्वास्थ्य विभागों का मुख्य केंद्र-बिंदु रहा है। इस दौरान दिनांक 6 अप्रैल, 2022 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (बिहार, ओडीशा,मध्य प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर क्योंकि उनकी टिप्पणियां प्राप्त हो चुकी है) और नए एम्स को 30 अप्रैल, 2022 तक उनकी टिप्पणियां भेजने का अनुस्मारक जारी किया गया है, ताकि मंत्रालय पीएमएसएसवाई के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे सकें।

तथापि यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि पीएमएसएसवाई के अंतर्गत आरंभ की गई परियोजनाओं की व्यापक रूपरेखाएं सुपरिभाषित हैं जो निम्नानुसार हैं:

नई एम्स की स्थापना में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

1. 750 अथवा 960 बिस्तरों वाले अस्पताल
2. 18/17 विशिष्टताएं/अति-विशिष्टताएं विभाग
3. 100 एमबीबीएस/ 60 नर्सिंग सीटें
4. स्नातकोत्तर शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना

जीएमसी के उन्नयन में निम्नलिखित शामिल हैं

1. 8 से 10 तक के अति विशिष्टता विभागों का निर्माण
2. अतिरिक्त 150-200 बिस्तर
3. लगभग 15 नई स्नातकोत्तर सीटें
4. औसत लागत केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 साझा किए गए 200 करोड़
5. एचआर और परिचालन खर्चा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में परियोजना के विशिष्ट परिवर्तनों के अध्यधीन नए एम्स की स्थापना कराने के लिए विभिन्न चरणों हेतु निम्नलिखित निर्देशात्मक समय सीमा की परिकल्पना की गई है:

क्र.सं.	**कार्रवाई**	**निर्देशात्मक सीमा**
1	**एक विशेष राज्य के लिए नए एम्स की घोषणा**	**डी**
2	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्य सरकारों को लगभग 200 एकड़ भार मुक्त भूमि के साथ तीन या चार वैकल्पिक स्थल प्रस्ताव के लिए भेजे गए पत्र। स्थल प्रस्तावित करते हुए, प्रस्तावित स्थापना की जल निकास व्यवस्था आदि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा चार लेन कनेक्टिविटी, जल और बिजली कनेक्शन प्रदान किये जाए।	डी+1 सप्ताह
3	**राज्य सरकार से प्राप्त स्थल का ब्यौरा तथा प्रतिबद्धता**	**ई**
4	राज्य सरकार से स्थल के ब्यौरे प्राप्त होने के बाद चुनौती पद्धत्ति के अनुसार स्थल का मूल्यांकन (चुनौती पद्धत्ति के अनुसार, स्थल का निरीक्षण, समितियों के गठन सहित) और माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।	ई + 5 सप्ताह
5	**माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा एम्स की स्थापना के लिए स्थल का अनुमोदन।**	**एफ**
6	पूर्व निवेश कार्य के लिए एजेंसी की नियुक्ति	एफ + 1 सप्ताह
7	एजेंसी द्वारा परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, मंत्रालय में ईएफसी नोट तैयार करना, वित्त मंत्रालय को इसकी सहमति के लिए नोट प्रस्तुत करना।	एफ + 4 सप्ताह
8	**इएफसी की सहमति**	**जी**
9	मंत्रालय में कैबिनेट नोट की तैयारी और सभी हितधारकों को प्रसारण	जी +1 सप्ताह
10	**कैबिनेट नोट का अनुमोदन**	**एच**
11	मुख्य कार्य को पूरा करने हेतु कार्यकारी एजेंसी का चयन	एच+8 सप्ताह
12	कार्यकारी एजेंसी द्वारा ईपीसी ठेकेदारों को कार्य सौंपना [प्रस्तावित एम्स के लिए महायोजना और संकल्पना डिजाइन तैयार करने के लिए आर्किटेक्चरल परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए आरएफपी जारी करना, आर्किटेक्चरल परामर्शदाता का चयन तथा परामर्शी कार्य सौंपना, महायोजना और अभिन्यास नक्शे को अंतिम रूप देना,	एच+40 सप्ताह

	ब्यौरेवार डिजाइन, तकनीकी मंजूरी और निर्माण के लिए टेंडर जारी करना,निर्माण कार्य सौंपना।]	
13	निर्माण कार्यकलाप	एच+150 सप्ताह

17. **अपने मूल प्रतिवेदन में, समिति ने पाया कि नए एम्स की स्थापना के लिए चेक-लिस्ट में उल्लिखित प्रत्येक चरण के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। इसलिए, उन्होंने प्रगति की प्रभावी निगरानी के लिए दिशा-निर्देशों में प्रत्येक कार्य योजना के लिए समय-सीमा निर्धारित करने की सिफारिश की थी। अपने उत्तर में, मंत्रालय ने बताया कि पीएमएसएसवाई के तहत शुरू की गई परियोजनाएं अच्छी तरह से परिभाषित हैं और निर्धारित समय-सीमाएं परियोजना-विशिष्ट विविधताओं के अध्यधीन उल्लिखित हैं, जो उनके उत्तर के साथ प्रस्तुत की गई हैं। इससे, समिति ने पाया कि, अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में शामिल समय को छोड़कर, एक नए एम्स की स्थापना के लिए लगभग 4 साल का समय निर्धारित किया गया है। हालाँकि, समिति देखती है कि 2015-2022 के बीच स्थापित किए गए नए 16 एम्स में से कुछ अभी तक पूरी तरह से कार्यात्मक नहीं हैं। अतः, समिति आशा करती है कि निर्धारित समय सीमा का पालन किया जाएगा और नियमित रियल टाइम निगरानी और समय पर अनुमोदन दे कर देरी को कम करने के लिए और कदम उठाए जाएं। समिति यह भी आशा करती है कि "पीएमएसएसवाई के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों" को अंतिम रूप देने के लिए सभी प्रयास किए जाएं।**

<u>टिप्पणियां/सिफ़ारिशें (पैरा सं. 7)</u>

18. अपनी मूल सिफारिश में, समिति ने कहा था कि:

"समिति नोट करती है कि सरल, एम्स, नई दिल्ली द्वारा विकसित किया गया एक मॉड्यूल आधारित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो फैकल्टी को छात्रों के उपयोग हेतु उनके व्याख्यान से संबंधित शैक्षिक सामग्री अपलोड करने की अनुमति देता है कि लेकिन समिति यह नोट करके आश्चर्यचकित है कि सरल केवल एम्स, दिल्ली के लिए ही है। किसी अन्य एम्स में चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वयं का कोई सुपरिभाषित मॉड्यूल (सरल के रूप में) नहीं है। अन्य एम्स, नर्सों और फैकल्टी के साथ-साथ अन्य मेडिकल कॉलेजों के प्रतिभागियों सहित अपने कर्मचारियों के कौशल उन्नयन के लिए स्वयं प्रशिक्षण

कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मंत्रालय ने स्वीकार किया कि ई-लर्निंग के व्यापक उपयोग हेतु समिति के सुझाव को, इसके कार्यान्वयन के लिए नोट किया गया है। समिति का दृढ़ मत है कि चिकित्सा शिक्षा के मुद्दे पर पहले अच्छी तरह से विचार किया जाना चाहिए और ई-लर्निंग के व्यापक उपयोग को समय की आवश्यकता के अनुरूप और भविष्य के लिए भी अनुशंसित किया जाना चाहिए। समिति स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से सभी एम्स को निर्देश/दिशानिर्देश जारी करने का आग्रह करना चाहती है, जो एम्स में सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को लाभान्वित करने के लिए ऑनलाइन चिकित्सा शिक्षा के लिए एक व्यापक मॉड्यूल का मसौदा तैयार करें और उसे प्रस्तुत करे। समिति का मत है कि एम्स, नई दिल्ली को नेतृत्व करना चाहिए और अन्य एम्स के विभिन्न मॉड्यूल के साथ एकीकरण की अंतर्निहित विशेषता के साथ स्वयं का एक मॉड्यूल विकसित करने में अन्य एम्स की मदद करनी चाहिए।"

19. **अपने की गई कार्रवाई उत्तर में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:**

"ऑनलाइन चिकित्सा शिक्षा की दिशा में अन्य एम्स द्वारा भी कदम उठाए गए हैं। एम्स, रायपुर नई दिल्ली स्थित एम्स द्वारा तैयार किए गए, माड्यूल आधारित ऑनलाइन प्लेटफार्म-सरल को अपना रहा है। एम्स, भुवनेश्वर "मेडसिम 2" नाम की परियोजना के रूप में, यूजी छात्रों के लिए व्यावहारिक तथा नैदानिक कक्षाओं के लिए ऑनलाइन अध्ययन माड्यूल तैयार करने की प्रक्रिया में है। यह परियोजना सी-डैक, त्रिवेन्द्रम तथा अमृत विश्व विद्यापीठम के सहयोग से है। एम्स, जोधपुर भी यूजी तथा पीजी, दोनों पाठ्यक्रमों के लिए लोक स्वास्थ्य नीति में कार्यकारी कार्यक्रम, लोक स्वास्थ्य स्कूल द्वारा नेतृत्व तथा प्रबंधन के लिए एलएमएस (अध्ययन प्रबंधन पद्धत्ति) का प्रयोग कर रहा है। एम्स, ऋषिकेश ऑनलाइन चिकित्सा शिक्षा के लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स अनुप्रयोग का उपयोग कर रहा है और व्याख्यानों/कक्षाओं से संबंधित शैक्षिक सामग्री संस्थान की वैबसाइट से साझा की जा रही है। एम्स, पटना भी संकाय के सदस्यों, अध्यापन स्टॉफ तथा छात्रों के लिए सरल माड्यूल आरंभ करने की योजना बना रहा है। अध्ययन प्रबंधन पद्धत्ति को एम्स भठिण्डा तथा रायबरेली में प्रायोगिक आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है।"

20. **समिति ने नोट किया है कि एम्स, नई दिल्ली में चिकित्सा शिक्षा के लिए एक मॉड्यूल आधारित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म "सरल" का इस्तेमाल किया जा रहा है। नए एम्स अपने स्टाफ/फैकल्टी के लिए उनके कौशल के उन्नयन के लिए अन्य मेडिकल कॉलेजों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसलिए, समिति ने मंत्रालय से सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लाभ के लिए ऑनलाइन चिकित्सा शिक्षा के लिए एक व्यापक मॉड्यूल का प्रारूप तैयार करने और उसे**

लागू करने के लिए सभी एम्स को निर्देश/दिशानिर्देश जारी करने का आग्रह किया था और सुझाव दिया था कि एम्स, नई दिल्ली अन्य एम्स के सहयोग से मॉड्यूल के विकास में अग्रणी भूमिका निभाए। समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया है कि एम्स, रायपुर "सरल" को अपना रहा है और इसी तरह के अन्य मॉड्यूल भुवनेश्वर, ऋषिकेश और पटना में अन्य एम्स द्वारा अपनाए जा रहे हैं। समिति को यह जानकर खुशी हुई कि एम्स, रायपुर ने एम्स, नई दिल्ली द्वारा विकसित "सरल" को अपनाया है। समिति दृढ़ता से महसूस करती है कि सभी एम्स को एम्स, नई दिल्ली द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षिक सामग्री के उपयोग को अधिकतम करने के लिए "सरल" को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समिति आशा करती है कि एम्स (नई दिल्ली के अलावा) द्वारा विकसित मॉड्यूल में किसी भी अन्य एम्स द्वारा अपनाए जा रहे मॉड्यूल के साथ एकीकरण की अंतर्निहित विशेषता है।

<u>टिप्पणियां/सिफ़ारिशें (पैरा सं. 8)</u>

नए एम्स के लिए भार मुक्त भूमि सौंपने की आवश्यकता

21. अपनी मूल सिफारिश में, समिति ने कहा था कि:

"समिति ने पाया कि एम्स की स्थापना के लिए जमीन संबंधित राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराना जरूरी है। नए एम्स की स्थापना के लिए करीब 200 एकड़ जमीन की जरूरत है। समिति को सूचित किया गया है कि दरभंगा में एम्स के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित स्थल निचले इलाके में है और इस स्थल पर पहले से ही पानी की टंकी, बिजलीघर, डाकघर, बीएसएनएल यार्ड और कार्यालय तथा पुलिस स्टेशन जैसे कुछ निर्माण हैं । इसके अलावा एम्स, दरभंगा की साइट को राज्य सरकार द्वारा पूरी की जाने वाली कुछ शर्तों के अध्याधीन अंतिम रूप दिया गया। समिति को सूचित किया गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28.02.2019 को 1299 करोड़ रुपये की लागत से हरियाणा के मानेठी में एम्स की स्थापना को मंजूरी दी थी। हालांकि चिह्नित स्थल पर एम्स के निर्माण के लिए वन स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकी है। एम्स, मानेठी के मामले में समिति ने पाया कि मनेठी से सटे गांव में लगभग 175.85 एकड़ की वैकल्पिक भूमि की पहचान कर ली गई है और इस भूमि की सहमति से खरीद के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एम्स के निर्माण के लिए जमीन की मंजूरी की निगरानी के मुद्दे पर समिति को बताया गया है कि निगरानी के लिए दो तंत्र हैं। एक मंत्रालय के स्तर पर है जिसका नेतृत्व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार करते हैं और इसमें संबंधित राज्य सरकार के

संयुक्त सचिव के साथ-साथ वह निष्पादन एजेंसी भी हैं जिन्हें कार्य सौंपा गया है । दूसरा तंत्र प्रधानमंत्री कार्यालय के स्तर पर है। ये तंत्र न केवल भूमि के हस्तांतरण बल्कि निर्माण की प्रगति की स्थिति की समीक्षा करते हैं। इस तरह की नियमित निगरानी के बाद कुछ मामलों में प्रगति हुई है । नए एम्स के पूरा होने में 2 से 12 वर्ष तक के विलंब को ध्यान में रखते हुए समिति की इच्छा है कि नए एम्स की प्रगति की समीक्षा करने के लिए मौजूदा दो तंत्र मंत्रालय को भार मुक्त भूमि के सौपने में तेजी लाने के लिए सक्रिय तरीके से कार्य करेंगे । समिति की इच्छा है कि भूमि के लिए मंजूरी प्राप्त करने में और अधिक विलंब होने की स्थिति में या किसी अन्य मुद्दे पर, मंत्रालय को इस मामले पर संबंधित राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श करने के लिए संबन्धित संसद सदस्य के नोटिस में लाया जाए। समिति को इस संबंध में की गई प्रगति से अवगत कराया जाए। जैसा कि मानेठी में बताया गया है कि पर्यावरण मंजूरी की समस्या को तत्काल आधार पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ उठाया जाना चाहिए ताकि एम्स का निर्माण संशोधित समय सीमा को समय के भीतर पूरा किया जा सके।"

22. **अपने की गई कार्रवाई उत्तर में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:**

"नए एम्स की स्थापना के लिए भार मुक्त भूमि सौंपने के मामले पर, यह उल्लेख किया जाता है कि यह मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारों अर्थात बिहार सरकार और हरियाणा सरकार के समक्ष इस मामले को नियमित रूप से उठा रहा है। माननीय संसद सदस्य, दरभंगा राज्य सरकार के साथ लंबित मामलों, जिनमें भार मुक्त भूमि शीघ्र सौंपना शामिल है, पर ध्यान देने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। हरियाणा में एम्स के संबंध में राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि जिला रेवाड़ी में गांव माजरा मुस्तिल भाल्की में 210 एकड़ 3 कनाल 5 मरला परिमाप की भूमि के लिए भूमि क्रय प्रकिया को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस मामले को माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री स्तर पर दिनांक 28.07.2022 के पत्र द्वारा हरियाणा के माननीय मुख्य मंत्री के समक्ष पुन: उठाया गया है ताकि अभिचिन्हित की गई भूमि के अधिग्रहण तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को इसे शीघ्र सौंपे जाने के कार्य में तेजी लाई जा सके।"

23. समिति ने पाया कि बिहार और हरियाणा में एम्स की स्थापना के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा भार मुक्त भूमि उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। हालांकि, नए एम्स की स्थापना के लिए भार मुक्त भूमि सौंपने में हुई देरी पर विचार करते हुए, समिति ने मंत्रालय से अन्य केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ नियमित निगरानी और समन्वय करने और इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत कराने का आग्रह किया था। समिति अब मंत्रालय के उत्तर से यह जानकर खुश है कि वे

नियमित रूप से संबंधित राज्य सरकारों, अर्थात बिहार सरकार औए हरियाणा सरकार के साथ इस मामले को उठा रहे हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में एक वैकल्पिक भूमि की उपलब्धता को भी नोट किया गया है। मंत्रालय ने अभी तक उठाए गए विभिन्न कदमों के अंतिम परिणामों के बारे में नहीं बताया है, इसलिए समिति न केवल दो राज्यों, बल्कि ऐसे प्रत्येक नए स्वीकृत एम्स के मामले में हुई प्रगति के बारे में भी अवगत होना चाहती है, जो भार मुक्त भूमि की अनुपलब्धता के कारण से पिछड़ रहे हैं।

टिप्पणियां/सिफ़ारिशें (पैरा सं.11)

सभी एम्स की वास्तविक प्रगति

24. अपनी मूल सिफारिश में, समिति ने कहा था कि:

"समिति नोट करती है कि रायबरेली में एम्स को शुरू में 05.02.2009 को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। और व्यय की संशोधित लागत को ईएफसी द्वारा 22.06.2017 को अनुमोदित किया गया था। मंत्रिमंडल ने इसे पूरा करने की अनुमोदित तारीख अप्रैल**, 2020** दी थी। इसे पूरा करने की संशोधित तिथि नवंबर**, 2021** कर दी गई है। इसलिए इसमें **1** साल और **7** महीने की देरी हो रही है। इस एम्स में ओपीडी ब्लॉक में अस्पताल और अकादमी कैंपस और आवासीय परिसर का काम पूरा हो चुका है। एमबीबीएस की कक्षाएं और ओपीडी की सुविधा शुरू हो गई है। आंध्र प्रदेश में एम्स मंगलगिरी में इसे **07.10.2015** को मंजूरी दी गई थी। मंत्रिमंडल ने इसे पूरा करने की तिथि अक्तूबर**, 2020** अनुमोदित की थी और इसे पूरा करने की अपेक्षित तिथि दिसबंर 2021 है। इसलिए **1** साल की देरी हो रही है। पहले चरण में ओपीडी ब्लॉक और आवासीय परिसर को काफी हद तक पूरा कर लिया गया है। दूसरे चरण में 84 प्रतिशत अस्पताल और अकादमी कैंपस की एमबीबीएस कक्षाएं पूरी हो चुकी हैं और ओपीडी की सुविधा शुरू हो चुकी है। कोविड प्रयोगशाला सुविधाओं के साथ कोविड -19 उपचार के लिए आईआईपीडी को कार्यात्मक किया गया है । पश्चिम बंगाल के एम्स कल्याणी में कैबिनेट की मंजूरी की तारीख **07.10.2015** थी। मंत्रिमंडल ने इसे पूरा करने की तिथि अक्तूबर**, 2020** को अनुमोदित की थी और इसे पूरा करने की संभावित तिथि नवंबर **2021** है। इस प्रकार इसमें एक साल की देरी हुई है। इस मामले में पहले चरण में ओपीडी ब्लॉक और आवासीय परिसर को काफी हद तक पूरा कर लिया गया है। दूसरे चरण में अस्पताल और अकादमी कैंपस काफी हद तक पूरा हो चुका है। एमबीबीएस की कक्षाएं और ओपीडी की सुविधा शुरू हो चुकी है। समिति ने वर्ष **2021** के सितंबर महीने में इस एम्स के अध्ययन

दौरा के समय देखा था कि एमबीबीएस कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम को अभी अकादमिक समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना था और एमबीबीएस छात्रों के लिए प्रयोगशाला की कोई सुविधा नहीं थी। उत्तर प्रदेश के एम्स गोरखपुर को मंत्रिमंडल ने 20.07.2016 को मंजूरी दी थी। कैबिनेट ने इसे पूरा करने की तारीख अप्रैल 2020 को मंजूरी दी थी और इसे पूरा करने की संभावित तारीख नवंबर 2021 है। ईपीसी मोड में निर्माण में **88.50%** प्रगति हुई है। एमबीबीएस की कक्षाएं और ओपीडी की सुविधा शुरू हो चुकी है। पंजाब में एम्स भटिंडा को मंत्रिमंडल ने **27.07.2016** को मंजूरी दी थी। मंत्रिमंडल ने इसे पूरा करने की तारीख जून **2020** को मंजूरी दी थी और इसे पूरा करने की संभावित तारीख नवंबर **2021** है। ईपीसी मोड में निर्माण में **88.70%** प्रगति हुई है। एमबीबीएस की कक्षाएं और ओपीडी की सुविधा शुरू हो चुकी है। असम में एम्स गुवाहाटी को मंत्रिमंडल ने **24.05.2017** को मंजूरी दी थी। मंत्रिमंडल ने इसे पूरा करने की तारीख अप्रैल **2021** को मंजूरी दी थी और इसे पूरा करने की संभावित तारीख सितंबर **2022** है। ईपीसी मोड में निर्माण में **57.50%** प्रगति हुई है। इस एम्स में सिर्फ एमबीबीएस कक्षाएं ही शुरू की गई हैं। हिमाचल प्रदेश के एम्स बिलासपुर को मंत्रिमंडल ने 03.01.2018 को मंजूरी दी थी। कैबिनेट ने इसे पूरा करने की तारीख दिसंबर **2021** अनुमोदित की है और इसे पूरा करने की संभावित तारीख जून **2022** है। ईपीसी मोड के माध्यम से निर्माण में 72 प्रतिशत प्रगति हुई है। इस एम्स में सिर्फ एमबीबीएस कक्षाएं ही शुरू की गई हैं। दिसंबर 2021 से ओपीडी की सुविधा शुरू होने की संभावना है। तमिलनाडु के एम्स मदुरै को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित इसे पूरा करने की तारीख सितंबर 2022 है और अब इसे बढ़ाकर अक्टूबर 2026 कर दिया गया है। विस्तारित अवधि लगभग चार वर्ष है। इसके लिए एम्स स्थल को अंतिम रूप दे दिया गया है, निवेश-पूर्व कार्य चल रहा है, जेआईसीए मिशन द्वारा आरंभिक सर्वेक्षण फरवरी 2020 में शुरू किया गया था और परियोजना प्रबंधन सलाहकार की नियुक्ति की जा रही है। राज्य सरकार का और एम्स मदुरै के साथ चालू शैक्षणिक सत्र से अस्थायी परिसर से एमबीबीएस कक्षाएं शुरू करने के लिए परामर्श का कार्य चल रहा है। बिहार में एम्स दरभंगा को मंत्रिमंडल ने 15.09.2020 को मंजूरी दी थी। मंत्रिमंडल द्वारा इसकी पूर्ण होने की अनुमोदित तारीख सितंबर 2024 है और इसके नियत तिथि तक पूरा होने की आशा है। हालांकि, समिति नोट करती है कि आज तक दरभंगा में स्थल को अंतिम रूप दे दिया गया है लेकिन राज्य सरकार द्वारा को अभी भार मुक्त भूमि सौंपी जानी है। जम्मू में एम्स सांबा को मंत्रिमंडल ने 10.01.2019 को मंजूरी दी थी। मंत्रिमंडल द्वारा इसकी पूर्ण होने की अनुमोदित तारीख जनवरी 2023 है और इस नियत तिथि में इसके पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि समिति नोट करती है कि ईपीसी मोड के जरिए निर्माण में सिर्फ 32 फीसद प्रगति हुई है। कश्मीर में एम्स अवंतीपुरा को मंत्रिमंडल ने 10.01.2019 को मंजूरी दी थी। मंत्रिमंडल द्वारा इसकी

पूर्ण होने की अनुमोदित तारीख जनवरी 2025 है और इस नियत तिथि तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि समिति इस बात को नोट करके चिंतित है कि ईपीसी मोड के माध्यम से निर्माण में केवल 6% प्रगति हुई है । झारखंड में एम्स देवघर को मंत्रिमंडल ने 16.05.2018 को मंजूरी दी थी। कैबिनेट ने इसे पूरा करने की अनुमोदित तारीख फरवरी 2022 दी थी और इसे पूरा करने की संभावित तारीख जून 2022 है। समिति नोट करती है कि कि ईपीसी मोड के माध्यम से निर्माण में 58 प्रतिशत प्रगति हुई है। एमबीबीएस कक्षाएं और ओपीडी की सुविधा शुरू कर दी गई है। 10.01.2019 को गुजरात में एम्स राजकोट को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने पूर्ण होने की अनुमोदित तारीख अक्टूबर 2022 दी है और इस नियत तिथि तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि समिति यह पाती है कि ईपीसी मोड के जरिए निर्माण में सिर्फ 12 प्रतिशत की प्रगति हुई है। इस एम्स में सिर्फ एमबीबीएस की कक्षाएं शुरू की गई हैं। तेलंगाना में एम्स बीबी नगर को मंत्रिमंडल द्वारा 17.12.2018 को मंजूरी दी गयी थी। मंत्रिमंडल द्वारा इसके पूरा करने की अनुमोदित तारीख सितंबर 2022 थी और अब इसके नवंबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस एम्स में एमबीबीएस की कक्षाएं और ओपीडी की सुविधा शुरू हो चुकी है। हरियाणा में एम्स मानेठी को मंत्रिमंडल द्वारा 28.02.2019 को मंजूरी दी गई थी। मंत्रिमंडल ने पूर्ण करने की अनुमोदित तारीख फरवरी 2023 दी है। हालांकि, समिति नोट करती है कि अभी तक राज्य सरकार द्वारा भार मुक्त भूमि सौंपा जाना बाकी है।

उपर्युक्त तथ्यों से समिति पाती है कि 16 एम्स में से 08 एम्स में एमबीबीएस की कक्षाएं और ओपीडी की सुविधा शुरू कर दी गई है। 04 एम्स में सिर्फ एमबीबीएस की कक्षाएं शुरू हुई हैं। समिति आगे पाती है कि भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश सभी 06 एम्स में सभी 18 स्पेशिएलिटी कार्यरत हैं। 17 सुपर स्पेशिएलिटी में से भोपाल, जोधपुर और पटना में कार्यशीलता की स्थिति क्रमश 14 है और भुवनेश्वर और ऋषिकेश में यह क्रमशः 17 है। सभी एम्स में समर्पित कोविड सुविधाएं चालू हो चुकी हैं।

समिति इस बात पर हैरान है कि भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश जैसे छह नए एम्स में अभी भी कई सुपर स्पेशलिटी वार्ड कार्यरत नहीं हैं। यह समय के साथ निर्धारित लक्ष्यों की सही ढंग से प्राप्त न होने पर ढुलमुल रवैये की ओर इंगित करता है । सभी एम्स का निर्माण समय पर पूरा करने और उन्हें पूरी तरह से कार्यशील बनाने के लिए आगे की योजना के तौर पर, समिति को सूचित किया जाता है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की नियमित समीक्षा बैठकें कार्यकारी एजेंसियों और

राज्य सरकारों के साथ आयोजित की जा रही हैं । प्रधानमंत्री कार्यालय के स्तर पर भी प्रगति पर नजर रखी जा रही है।

समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को प्रत्येक एम्स के लिए एक परियोजना समीक्षा पैनल का गठन करना चाहिए जो हर तिमाही में इमारतों के निर्माण के साथ-साथ चिकित्सा सुविधाओं के वास्तविक लक्ष्यों का मूल्यांकन करेगा और यदि कोई ढिलाई हो, तो उसे मंत्रालय को रिपोर्ट करेगा और मंत्रालय कठिनाइयों की जांच कर सकता है और समय पर उनका समाधान कर सकता है। समिति को यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि प्रगति के मूल्यांकन में ड्रोन का उपयोग मंत्रालय के एजेंडे में से एक है । समिति मंत्रालय से आग्रह करेगी कि इस तरह की समीक्षा जल्द से जल्द शुरू की जाए ताकि सभी एम्स का निर्माण समय बढ़ाए बिना निर्धारित समय पर पूरा किया जा सके और जल्द से जल्द पूरी तरह से उन्हे कार्यशील बनाया जा सके तथा समिति को उसकी जानकारी दी जाए।"

25. **अपने की गई कार्रवाई उत्तर में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:**

"इस मंत्रालय ने नई एम्स परियोजनाओं की समीक्षा के लिए पहले ही एक परियोजना समीक्षा समिति (जीएफआर, 2017 के नियम 141 के अनुसार) का गठन कर दिया है। परियोजना प्रबंधन और निगरानी की सुविधा के लिए एक वेब-सक्षम डैशबोर्ड भी शुरू किया गया है। राज्य स्तर पर भी संबंधित राज्यों में नई एम्स परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने के लिए समीक्षा समितियों का प्रावधान है।

नए एम्स के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि एम्स रायबरेली, नागपुर, कल्याणी और बठिंडा का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा, एम्स मंगलागिरी, गोरखपुर और बिलासपुर का निर्माण कार्य पूरा होने के अंतिम चरण में है। यह मंत्रालय अन्य शेष एम्स परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है।"

26. **समिति ने पाया कि अधिकांश नए एम्स के निर्माण कार्य के पूरा होने की निर्धारित तिथि काफी पहले समाप्त हो चुकी है जिससे उसके निमार्ण कार्य की वास्तविक प्रगति काफी कम हुई है और स्पेशियलिटी /सुपर स्पेशियलिटी अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। विषय की जांच के समय कश्मीर में एम्स, अवंतीपुरा निर्माण की वास्तविक पग्रति काफी कम 6 प्रतिशत थी और यही स्थिति एम्स, राजकोट, एम्स, जम्मू में सांबा और एम्स, गुवाहाटी में थी। एम्स, मदुरै का निर्माण सितंबर 2022 में होने की आशा थी लेकिन इसे 4 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था। एम्स, मनेठी, हरियाणा और एम्स, दरभंगा, बिहार के मामले में, निर्माण के लिए भारमुक्त भूमि अभी भी सौंपी**

जानी बाकी है। मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई के उत्तर में बताया है कि नई एम्स परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक परियोजना समीक्षा समिति है और परियोजना प्रबंधन और निगरानी की सुविधा के लिए एक वेब-सक्षम डैशबोर्ड भी है। समिति दृढ़ता से महसूस करती है कि प्रत्येक एम्स के मामले में परियोजना समीक्षा समिति की बैठकों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है और इस प्रतिवेदन की प्रस्तुति के छह महीने के भीतर इसकी वास्तविक प्रगति समिति को बताई जाए।

टिप्पणियां/सिफ़ारिशें (पैरा सं.12)

समर्पित अनुसंधान गतिविधियां

27. अपनी मूल सिफारिश में, समिति ने कहा था कि:

"चिकित्सा का क्षेत्र मुख्य रूप से अपनी प्रभावकारिता और विकास के लिए निरंतर अनुसंधान पर निर्भर है। अनुसंधान और विकास चिकित्सा क्षेत्र की एक अंतर्निहित विशेषता है। यह पूछे जाने पर कि क्या सभी एम्स में अनुसंधान और रोगियों दोनों के लिए प्रयोगशाला सुविधाएं क्रियाशील हैं, समिति को सूचित किया जाता है कि सभी छह कार्यात्मक एम्स में प्रयोगशाला सुविधाएं मौजूद हैं जिनका उपयोग रोगी सेवाओं और अनुसंधान गतिविधियों, दोनों के लिए किया जाता है । स्पेशियलिटी और सुपर स्पेशियलिटी विभागों की कार्यक्षमताओं और संकायों की उपलब्धता के आधार पर, ये संस्थान एक्स्ट्रा –म्यूरल और इंट्रा-म्यूरल शोध करते हैं। हालांकि अनुसंधान के लिए मंत्रालय द्वारा कोई अलग आवंटन नहीं है । समिति का इस बात पर दृढ़ मत है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को इस मामले को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के समक्ष उठाना चाहिए ताकि अनुसंधान गतिविधियों के लिए अलग से आवंटन हो और अतः स्पेशियलिटी और सुपर स्पेशियलिटी के आवश्यक पद को भरा जा सके क्योंकि यह लैब सुविधाओं की उपलब्धता से जुड़ा हुआ है।

समिति नोट करती है कि नई दिल्ली स्थित एम्स में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बायो टेक्नोलॉजी विभाग , इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आदि द्वारा एक्स्ट्राम्यूरल रिसर्च फंडिंग शुरू की गई है। हालांकि समिति को इस बात का दुख है कि स्वास्थ्य सेवाओं का प्रतीक माने जाने वाले एम्स दिल्ली जैसे संस्थान अपने अनुसंधान शीर्ष के अधीन पूरी तरह से धन राशि खर्च नहीं करते हैं। समिति पाती है कि वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए संस्था की कुल प्राप्तियां (अनुसंधान के लिए) 1,162,738,574.28 लाख रुपये, 1647870753.89 लाख रुपये और 1643432507 लाख रुपये थे। वर्ष

2018-19 के दौरान कुल खर्च (अनुसंधान के लिए) 1107715966 लाख रुपये, वर्ष 2019-20 के दौरान 1448611449 लाख रुपये और वर्ष 2020-21 के दौरान 1218124390 लाख रुपये है। समिति चाहेगी कि मंत्रालय सभी एम्स से आग्रह करे कि वे पूरी तरह से शोध गतिविधियों पर ध्यान दें, तभी चिकित्सा के क्षेत्र में पूर्ण विकास संभव हो सकेगा। समिति का दृढ़ विचार है कि भारत जैसे देश में जहां अधिकांश आबादी के लिए सस्ती चिकित्सा सहायता अनिवार्य आवश्यकता है, वहां एम्स जैसे अग्रणी चिकित्सा संस्थानों द्वारा सुस्थापित अनुसंधान पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए।

यह पूछे जाने पर कि क्या एम्स की अनुसंधान टीम ने पंजाब और हरियाणा की नहरों के रासायनिक दूषित पानी पर कोई अध्ययन किया है जो कि उन क्षेत्रों में कैंसर का प्रमुख कारण है, समिति को सूचित किया गया है कि "ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है"। स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए समिति ने यह इच्छा ब्यक्त की कि मंत्रालय इस पहलू पर उचित अनुसंधान करे और इसके लिए उपचारात्मक उपाय सुझाए।"

28. **अपने की गई कार्रवाई उत्तर में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:**

"सभी एम्स प्रयोगशाला सुविधा केंद्रों का रोगी परिचर्या और अनुसंधान- दोनों के लिए उपयोग किया जा रहा है। अव्ययीत निधियों के संबंध में, यह बाह्य निधियों से संबंधित है, जो संस्थान को अन्य एजेंसियों द्वारा प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं के लिए प्राप्त होता है। संस्थानों को सलाह दी जाएगी कि वे अपनी शोध निधियों के उपयोग में सुधार करें। पंजाब और हरियाणा की रासायनों से दूषित जल नहरों से उन क्षेत्रों में कैंसर के मामलों पर पड़ने वाले प्रभाव पर अनुसंधान संबंधी समिति की सिफारिशों पर कार्य किया जाएगा।"

29. **समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में कहा था कि 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए एम्स, नई दिल्ली द्वारा बाह्य अनुसंधान के लिए पर्याप्त मात्रा में धन का उपयोग नहीं किया गया है। समिति ने पंजाब और हरियाणा की नहरों में रासायनिक संदूषण के महत्वपूर्ण मुद्दे को भी उठाया था, जो उन क्षेत्रों में कैंसर का प्रमुख कारण है। मंत्रालय ने अपने उत्तर में समिति को अवगत कराया है कि संस्थान को बाहरी निधियों के उपयोग में सुधार करने की सलाह दी जाएगी और पंजाब और हरियाणा की पानी की नहरों के कैंसर के रासायनिक संदूषण पर अनुसंधान के लिए समिति की सिफारिशों का पालन किया जाएगा। दिल्ली-एनसीआर और ऐसे अन्य शहरों में बढ़ता वायु प्रदूषण और इसके परिणामस्वरूप होने वाली श्वसन/हृदय/यकृत/गुर्दे की बीमारियाँ, एंटीबायोटिक दवाओं**

के अत्यधिक उपयोग से उपचार में उनकी अक्षमता आदि अन्य गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियाँ हैं। समिति महसूस करती है कि यही उचित समय है कि चिकित्सा बिरादरी इन चुनौतियों के संभावित समाधान खोजने के लिए अनुसंधान में जुट जाए। इसे ध्यान में रखते हुए, समिति चिकित्सा अनुसंधान के लिए निर्धारित धन के पूर्ण उपयोग के लिए की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी और पंजाब और हरियाणा की पानी की नहरों के संदूषण जो कैंसर का कारण है उस पर हुये अनुसंधान/अध्ययन के परिणाम, साथ ही सभी एम्सों द्वारा अनुसंधान संबंधी आगे के सक्रिय प्रस्ताव से भी अवगत होना चाहेगी।

टिप्पणियां/सिफ़ारिशें (पैरा सं.15)

एम्स दिल्ली में अधिकृत और मौजूदा स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट

30. अपनी मूल सिफारिश में, समिति ने कहा था कि:

"समिति यह नोट करती है कि दिल्ली एम्स में शिक्षण स्टाफ की कुल स्वीकृत संख्या 1115 है। इसकी तुलना में वर्तमान में नियमित पदों पर 746 और संविदात्मक आधार पर 55 है । कुल 314 रिक्तियां है। 314 की कुल रिक्तियों में से स्थापित किये जा रहे केंद्रों / ब्लॉक / फैसिलिटीयों में 157 रिक्तियां हैं। समिति को सूचित किया गया है कि रिक्त पदों को भरने के लिए प्रयास किये जा रहा हैं। इन रिक्तियों को मौजूदा आरक्षण रोस्टर के साथ नियमित आधार पर 2020 में विज्ञापित किया जाना था लेकिन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 23.02.2027 के पत्र द्वारा सरकारी अनुदेश के कारण एम्स में शिक्षण स्टाफ की भर्ती के लिए आरक्षण रोस्टर को फिर से तैयार करने के लिए इस विज्ञापन को फिर से रोक दिया गया। शिक्षक संवर्ग में आरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार संस्थान आरक्षण रोस्टर को फिर से तैयार करने की प्रक्रिया में है। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है और आरक्षण रोस्टर को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसके बाद जल्द ही रिक्त पदों का विज्ञापन निकाला जाएगा। समिति आशा करती है कि मंत्रालय और समय गंवाए बगैर रिक्त पदों को भरने के लिए उचित कार्रवाई करे और उसे इस संबंध में की गई अंतिम कार्रवाई से अवगत कराए।"

31. **अपने की गई कार्रवाई उत्तर में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:**

"केंद्रीय शैक्षिक संस्था (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 के कार्यान्वयन के लिए आरक्षण रोस्टरों को फिर से तैयार करने की आवश्यकता थी और इस संबंध में स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्रालय द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे। तदनुसार, सहायक प्रोफेसर के आरक्षण रोस्टर को अंतिम रूप दिया गया है। नर्सिंग संकाय, चिकित्सा अधीक्षक और प्रोफेसरों के आरक्षण रोस्टर को रोस्टर समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है और इन रोस्टरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके अलावा, 46 पदों को छोड़कर, जिनके लिए भर्ती नियम/ नामावली संशोधन किया जा रहा है, रिक्त पदों को भरने के लिए नवंबर, 2021 में सहायक प्रोफेसर के 252 पदों का विज्ञापन दिया गया था। भर्ती नियम/नामावली को अंतिम रूप देने के बाद इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। कॉलेज ऑफ नर्सिंग के एसोसिएट प्रोफेसर के 03 रिक्त पद और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के 01 रिक्त पद के लिए जल्द ही विज्ञापन निकाला जाएगा। सीधी भर्ती वाली प्रोफेसर की 96 रिक्तियों के लिए प्रशासनिक कारणों से चयन प्रक्रिया आयोजित नहीं की जा रही है।"

32. **समिति ने पाया कि एम्स, नई दिल्ली में संकाय पदों की कुल 1115 स्वीकृत संख्या में से 314 संकाय पद रिक्त थे। मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया है कि सहायक प्रोफेसर के 252 पद नवंबर 2021 में विज्ञापित किए गए थे और भर्ती नियमों/नामावली को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण 46 पद खाली हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि प्रोफेसरों की 96 रिक्तियों के लिए जो सीधी भर्ती के अंतर्गत हैं, प्रशासनिक कारणों से चयन प्रक्रिया बंद है। समिति आग्रह करती है कि वरिष्ठ संकाय पदों और अन्य पदों को बिना किसी देरी के भरा जाए। समिति को यह जानकर खेद है कि भर्ती नियमों/नामावली को धीमी गति से अंतिम रूप देने से रिक्तियों को भरने में अनावश्यक देरी हुई है। इसलिए, समिति दृढ़ता से महसूस करती है कि मंत्रालय बाधाओं को दूर करे और सभी रिक्त पदों को भरने के संबंध में हुई प्रगति की रिपोर्ट दे।**

अध्याय – दो

टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

टिप्पणियां/सिफारिशें (पैरा सं 1)

प्रतिवेदन में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों की प्रस्तावना।

प्रस्तावना का भाग होने के कारण, इस पर किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पणियां/सिफारिशें (पैरा सं 4)

पर्याप्त बिस्तर सुनिश्चित करने की आवश्यकता

समिति नोट करती है कि छह नए संचालित एम्स अर्थात भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश में परिकल्पित बिस्तर क्षमता 960 बिस्तर प्रति एम्स थी। कार्यात्मक एम्स की कुल स्वीकृत बिस्तर संख्या 5760 है। इसकी तुलना में, अब तक सभी एम्स में 5602 बेड ही चालू हो पाए हैं। शेष 158 बेड स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट की उपलब्धता के बाद ही उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, समिति ने यह पाया कि एम्स, भुवनेश्वर ने एक कार्डियो सेंटर, न्यूरो सेंटर और कैंसर सेंटर खोलने के लिए तीन प्रस्ताव भेजे थे। वर्तमान में इस केंद्र पर केवल 20 बिस्तर हैं। प्रत्येक केंद्र पर न्यूनतम बिस्तर आवश्यकता 100 से 150 बिस्तर की है। वर्तमान में, इन प्रस्तावों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चूंकि भारत के पूर्वी हिस्से में लोग पान चबाते हैं, मुंह के कैंसर/दाँत रोग के मामले बढ़ रहे हैं। इसलिए एम्स, भुवनेश्वर में दांत चिकित्सा केंद्र खोलने की तत्काल आवश्यकता है। समिति का मानना है कि वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रभावी जारी निधि की अपेक्षा कम व्यय हुआ है। वर्ष 2018-19 के दौरान, जारी की गई राशि 300.98 करोड़ रुपए की तुलना में 288.29 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था। वर्ष 2019-20 के दौरान, जारी की गई राशि 416.69 करोड़ रुपए की तुलना में 401.84 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। वर्ष 2020-21 के दौरान, जारी की गई राशि 477.85 करोड़ रुपए की तुलना में 450.88 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। वर्ष 2021-22 के दौरान, जारी की गई राशि 181.98 करोड़ रुपए की तुलना में 75.57 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। समिति ने अन्य बजटीय संसाधनों के कम उपयोग, एम्स भुवनेश्वर में कई केंद्र खोलने की धीमी प्रगति, आवश्यक बिस्तरों की उपलब्धता और अपेक्षित विशेषज्ञ और सुपर विशेषज्ञों की उपलब्धता की निंदा करती है। समिति का दृढ़ मत है कि मंत्रालय वास्तविक लक्ष्यों के साथ ही वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास करे और स्वीकृत बिस्तर, विशिष्टताओं और सुपर

स्पेशियलिटी की उपलब्धता सुनिश्चित करे। साथ ही, समिति यह चाहती है कि मंत्रालय इस संबंध में की गई प्रगति के बारे में समिति को अवगत कराए।

सरकार का उत्तर

स्वीकृत बिस्तर क्षमता 5760 की तुलना में वर्तमान में 6 एम्स की कुल बिस्तर क्षमता 5748 है। इस मंत्रालय में उपलब्ध इनपुट के अनुसार, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी में सुपर-स्पेशियलिटी विभाग एम्स, भुवनेश्वर में कार्यशील हैं। एम्स भुवनेश्वर में एक दंत चिकित्सा केंद्र खोलने के संबंध में, यह बताया जाता है कि एम्स, भुवनेश्वर में दंत चिकित्सा विभाग कार्य कर रहा है।

संस्थान के तीन सहायता अनुदान शीर्षों के तहत सांकेतिक बजटीय आवंटन पर विभिन्न संस्थानों की स्थायी वित्त समितियों (एसएफसी) की बैठकों में चर्चा और निर्णय लिया जाता है। जारी की गई धनराशि का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एसएफसी द्वारा सहायता अनुदान की वास्तविक निर्गत और उपयोग की निगरानी भी की जाती है। सहायता अनुदान के उपयोग की अधिक नियमित निगरानी करने और वित्तीय प्रभाव वाले अन्य मामलों पर चर्चा करने के लिए, संस्थानों को एसएफएस की जैसे कि एक वर्ष में 3 से 4 बार अधिक नियमित बैठकें आयोजित करने की सलाह दी गई है।

<u>टिप्पणियां/सिफारिशें (पैरा सं 5)</u>

देश में एम्स जैसे और संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव।

समिति ने यह पाया है कि मंत्रालय की देश के प्रत्येक राज्य में चरणबद्ध तरीके से एम्स स्थापित करने की योजना है। मंत्रालय को कर्नाटक, केरल, गोवा, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम और मणिपुर से अपने राज्यों में एम्स जैसे संस्थान स्थापित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। जांच के दौरान, समिति को यह बताया गया है कि लागत लाभ विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय वर्तमान में, एम्स गुवाहाटी के अलावा, उत्तर पूर्व राज्य में किसी अन्य एम्स पर सक्रिय रूप से विचार नहीं कर रहा है। समिति नोट करती है कि केरल राज्य सरकार ने चार स्थानों अर्थात तिरुवनंतपुरम में नेट्टुकलथेरी, जो हवाई अड्डे के बहुत पास है; केरल के उत्तरी भाग में कालीकट में औद्योगिक संपदा भूमि; मेडिकल कॉलेज के पास कोट्टायम; और कलामास्सेरी में एचएमटी भूमि, पर भूमि की पहचान की है लेकिन एम्स की स्थापना का अनुरोध अभी भी लंबित है। जांच के दौरान पूछे जाने पर, मंत्रालय ने समिति को बताया कि उसने वित्त मंत्रालय से केरल में एम्स की

स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी देने का अनुरोध किया है। समिति आशा करती है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग पीएमएसएसवाई के अगले चरण में प्रत्येक राज्य में एम्स जैसे संस्थान की स्थापना के लिए सक्रिय कदम उठाएंगे और इसे 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में शामिल करेंगे। समिति चाहती है कि मंत्रालय अन्य राज्यों के अनुरोधों पर पुनर्विचार करे और प्रत्येक राज्य में समयबद्ध तरीके से एम्स जैसे संस्थान स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

सरकार का उत्तर

समिति के सुझावों को नोट कर लिया गया है और यह मामला वित्त मंत्रालय के समक्ष रखा जाएगा।

टिप्पणियां/सिफारिशें (पैरा सं 6)

नए एम्स की स्थापना हेतु दिशा-निर्देशों में प्रत्येक चरण के लिए समय-सीमा तय करने की आवश्यकता

भारत में किसी भी स्थान पर एक नया एम्स स्थापित करने की प्रक्रिया वित्त मंत्री द्वारा इसकी घोषणा के साथ शुरू होती है, इसके बाद संबंधित राज्य सरकार द्वारा भूमि स्थल की पेशकश की जाती है जहां एम्स स्थापित किया जाना है।

समिति नोट करती है कि आरंभ में मंत्रालय ने पीएमएसएसवाई योजना के कार्यान्वयन के लिए कोई दिशानिर्देश तैयार नहीं किया था और समय-समय पर जारी निर्देशों और केंद्रीय परियोजना निगरानी समिति (पीएमसी) द्वारा मामले के आधार पर लिए गए निर्णयों द्वारा निर्देशित किया जाता था। इसके परिणामस्वरूप निधि प्रबंधन, सलाहकारों के चयन, परियोजना कार्य का काम सौंपने, संविदा के प्रबंधन प्रदान करने के संबंध में कई तदर्थ निर्णय लिए गए। वर्ष 2018 में, पूर्व मामलों से अनुभवों और सीख लेते हुए, पीएमएसएसवाई योजना हेतु दिशानिर्देश तैयार करने के लिए दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया था।

समिति को सूचित किया गया कि मंत्रालय ने सभी हितधारकों अर्थात राज्य सरकारों को उनके इनपुट के लिए "पीएमएसएसवाई योजना के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश" का मसौदा परिचालित किया था। कुछ राज्यों से रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस संबंध में टिप्पणियाँ तेजी से करने के लिए सचिव, स्वास्थ्य और

परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सभी राज्य सरकारों को अनुस्मारक जारी किए गए हैं। हालांकि, योजना के कार्यान्वयन से सीख लेते हुए, परियोजना की अवधारणा, निष्पादन और क्रियात्मकता की प्रक्रिया को सरल बनाया है।

समिति नोट करती है कि अब एम्स की स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक सुपरिभाषित चेकलिस्ट/मानक दस्तावेज उपलब्ध हैं। हालांकि, समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि पीएमएमएसवाई की घोषणा के 18 साल बाद भी, पीएमएमएसवाई योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों के मसौदे पर कुछ राज्य सरकारों के इनपुट अभी भी प्रतीक्षित हैं और नए एम्स की स्थापना के लिए चेक लिस्ट में उल्लिखित प्रत्येक चरण के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है जैसा कि अध्याय- तीन में वर्णित है। समिति का दृढ़ रूप से यह मानना है कि दिशानिर्देशों के प्रत्येक कार्य बिंदु में समय-सीमा निर्धारित किए बिना, मंत्रालय प्रगति की प्रभावी रूप से निगरानी नहीं कर पाएगी। इसलिए समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि मंत्रालय प्रत्येक कार्ययोजना हेतु समय सीमा निर्धारित करे और निर्धारित समय-सीमा का पालन करने के लिए समेकित कदम उठाए। समिति को इस संबंध में उठाए गए कदमों से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

सभी हितधारकों की टिप्पणियां/इनपुट प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के लिए प्रारूप दिशा-निर्देश 17 जनवरी, 2020 के पत्र द्वारा परिचालित किए गए थे जिसमें प्रस्तावित दिशा-निर्देशों पर उनकी बहुमूल्य टिप्पणियों/प्रतिपुष्टी (फीडबैक) भेजने का अनुरोध किया गया था। चार राज्यों, बिहार, मध्य प्रदेश, ओड़िशा और सिक्किम से टिप्पणियां प्राप्त हो चुकी है। तथापि, अधिकांश हितधारकों से टिप्पणियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

यद्यपि इसके लिए अनुस्मारक भेजे गए थे, परंतु बहुत कम राज्यों से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई हैं। इसका एक संभव कारण कोविड महामारी भी हो सकती है जिसका प्रबंधन करना केंद्र के साथ-साथ राज्य स्तरों पर स्वास्थ्य विभागों का मुख्य केंद्र-बिंदु रहा है। इस दौरान दिनांक 6 अप्रैल, 2022 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (बिहार, ओडीशा,मध्य प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर क्योंकि उनकी टिप्पणियां प्राप्त हो चुकी है)

और नए एम्स को 30 अप्रैल, 2022 तक उनकी टिप्पणियां भेजने का अनुस्मारक जारी किया गया है, ताकि मंत्रालय पीएमएसएसवाई के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे सकें।

तथापि यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि पीएमएसएसवाई के अंतर्गत आरंभ की गई परियोजनाओं की व्यापक रूपरेखाएं सुपरिभाषित हैं जो निम्नानुसार हैं:

नई एम्स की स्थापना में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

1. 750 अथवा 960 बिस्तरों वाले अस्पताल
2. 18/17 स्पेसियलिटी/मल्टी-स्पेसियलिटी विभाग
3. 100 एमबीबीएस/ 60 नर्सिंग सीटें
4. स्नातकोत्तर शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना

जीएमसी के उन्नयन में निम्नलिखित शामिल हैं

1. 8 से 10 तक के अति विशिष्टता विभागों का निर्माण
2. अतिरिक्त 150-200 बिस्तर
3. लगभग 15 नई स्नातकोत्तर सीटें
4. औसत लागत केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 साझा किए गए 200 करोड़
5. एचआर और परिचालन खर्चा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में परियोजना के विशिष्ट परिवर्तनों के अधीन नए एम्स की स्थापना कराने के लिए विभिन्न चरणों हेतु निम्नलिखित निर्देशात्मक समय सीमा की परिकल्पना की गई है:

क्र.सं.	कार्रवाई	निर्देशात्मक सीमा
1	**एक विशेष राज्य के लिए नए एम्स की घोषणा**	**डी**
2	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्य सरकारों को लगभग 200 एकड़ भार मुक्त भूमि के साथ तीन या चार वैकल्पिक स्थल प्रस्ताव के लिए भेजे गए पत्र। स्थल प्रस्तावित करते हुए, प्रस्तावित स्थापना की जल निकास व्यवस्था आदि	डी+1 सप्ताह

	आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा चार लेन कनेक्टिविटी, जल और बिजली कनेक्शन प्रदान किये जाए।	
3	**राज्य सरकार से प्राप्त स्थल का ब्यौरा तथा प्रतिबद्धता**	**ई**
4	राज्य सरकार से स्थल के ब्यौरे प्राप्त होने के बाद चुनौती पद्धत्ति के अनुसार स्थल का मूल्यांकन (चुनौती पद्धत्ति के अनुसार, स्थल का निरीक्षण, समितियों के गठन सहित) और माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।	ई + 5 सप्ताह
5	**माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा एम्स की स्थापना के लिए स्थल का अनुमोदन।**	**एफ**
6	पूर्व निवेश कार्य के लिए एजेंसी की नियुक्ति	एफ + 1 सप्ताह
7	एजेंसी द्वारा परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, मंत्रालय में ईएफसी नोट तैयार करना, वित्त मंत्रालय को इसकी सहमति के लिए नोट प्रस्तुत करना।	एफ + 4 सप्ताह
8	**इएफसी की सहमति**	**जी**
9	मंत्रालय में कैबिनेट नोट की तैयारी और सभी हितधारकों को प्रसारण	जी +1 सप्ताह
10	**कैबिनेट नोट का अनुमोदन**	**एच**
11	मुख्य कार्य को पूरा करने हेतु कार्यकारी एजेंसी का चयन	एच+8 सप्ताह
12	कार्यकारी एजेंसी द्वारा ईपीसी ठेकेदारों को कार्य सौंपना [प्रस्तावित एम्स के लिए महायोजना और संकल्पना डिजाइन तैयार करने के लिए आर्किटेक्चरल परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए आरएफपी जारी करना, आर्किटेक्चरल परामर्शदाता का चयन तथा परामर्शी कार्य सौंपना, महायोजना और अभिन्यास नक्शे को अंतिम रूप देना, ब्योरेवार डिजाइन, तकनीकी मंजूरी और निर्माण के लिए टेंडर जारी करना,निर्माण कार्य सौंपना।]	एच+40 सप्ताह
13	निर्माण कार्यकलाप	एच+150 सप्ताह

टिप्पणियां/सिफारिशें (पैरा सं 7)

मजबूत ऑनलाइन चिकित्सा शिक्षा की आवश्यकता

समिति नोट करती है कि सरल, एम्स, नई दिल्ली द्वारा विकसित किया गया एक मॉड्यूल आधारित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो फैकल्टी को छात्रों के उपयोग हेतु उनके व्याख्यान से संबंधित शैक्षिक सामग्री अपलोड करने की अनुमति देता है कि लेकिन समिति यह नोट करके आश्चर्यचकित है कि सरल केवल एम्स, दिल्ली के लिए ही है। किसी अन्य एम्स में चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वयं का कोई सुपरिभाषित मॉड्यूल (सरल के रूप में) नहीं है। अन्य एम्स, नर्सों और फैकल्टी के साथ-साथ अन्य मेडिकल कॉलेजों के प्रतिभागियों सहित अपने कर्मचारियों के कौशल उन्नयन के लिए स्वयं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मंत्रालय ने स्वीकार किया कि ई-लर्निंग के व्यापक उपयोग हेतु समिति के सुझाव को, इसके कार्यान्वयन के लिए नोट किया गया है। समिति का दृढ़ मत है कि चिकित्सा शिक्षा के मुद्दे पर पहले अच्छी तरह से विचार किया जाना चाहिए और ई-लर्निंग के व्यापक उपयोग को समय की आवश्यकता के अनुरूप और भविष्य के लिए भी अनुशंसित किया जाना चाहिए। समिति स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से सभी एम्स को निर्देश/दिशानिर्देश जारी करने का आग्रह करना चाहती है, जो एम्स में सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को लाभान्वित करने के लिए ऑनलाइन चिकित्सा शिक्षा के लिए एक व्यापक मॉड्यूल का मसौदा तैयार करें और उसे प्रस्तुत करे। समिति का मत है कि एम्स, नई दिल्ली को नेतृत्व करना चाहिए और अन्य एम्स के विभिन्न मॉड्यूल के साथ एकीकरण की अंतर्निहित विशेषता के साथ स्वयं का एक मॉड्यूल विकसित करने में अन्य एम्स की मदद करनी चाहिए।

सरकार का उत्तर

ऑनलाइन चिकित्सा शिक्षा की दिशा में अन्य एम्स द्वारा भी कदम उठाए गए हैं। एम्स, रायपुर नई दिल्ली स्थित एम्स द्वारा तैयार किए गए, माड्यूल आधारित ऑनलाइन प्लेटफार्म-सरल को अपना रहा है। एम्स, भुवनेश्वर "मेडसिम 2" नाम की परियोजना के रूप में, यूजी छात्रों के लिए व्यावहारिक तथा नैदानिक कक्षाओं के लिए ऑनलाइन अध्ययन माड्यूल तैयार करने की प्रक्रिया में है। यह परियोजना सी-डैक, त्रिवेन्द्रम तथा अमृत विश्व विद्यापीठम के सहयोग से है। एम्स, जोधपुर भी यूजी तथा पीजी, दोनों पाठ्यक्रमों के लिए लोक स्वास्थ्य नीति में कार्यकारी कार्यक्रम, लोक स्वास्थ्य स्कूल द्वारा नेतृत्व तथा प्रबंधन के लिए एलएमएस (अध्ययन प्रबंधन पद्धत्ति) का प्रयोग कर रहा है। एम्स, ऋषिकेश ऑनलाइन चिकित्सा शिक्षा के

लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स अनुप्रयोग का उपयोग कर रहा है और व्याख्यानों/कक्षाओं से संबंधित शैक्षिक सामग्री संस्थान की वैबसाइट से साझा की जा रही है। एम्स, पटना भी संकाय के सदस्यों, अध्यापन स्टॉफ तथा छात्रों के लिए सरल माड्यूल आरंभ करने की योजना बना रहा है। अध्ययन प्रबंधन पद्धत्ति को एम्स भठिण्डा तथा रायबरेली में प्रायोगिक आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है।

टिप्पणियां/सिफारिशें (पैरा सं 9)

सुसंरचित भर्ती प्रक्रिया की आवश्यकता

देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर नए एम्स की स्थापना में संतुलित चिकित्सा सेवाओं का इसके विजन मार्गदर्शक ताकतों में से एक रहा है । लेकिन केवल बुनियादी ढांचे से भली प्रकार प्रशिक्षित और योग्य मानव संसाधनों के अभाव में उद्देश्य पूरा नहीं होगा । नए एम्स के लिए पदों की आवश्यकता एम्स की एकेडमिक काउंसिल नई दिल्ली के मानकों के अनुसार तय की जाती है। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक नए एम्स के लिए अपेक्षित विभिन्न पदों को अंतिम रूप दिया गया था । भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश जैसे छह कार्यात्मक एम्स में से प्रत्येक के लिए 8 परियोजना – प्रकोष्ठ- पदों, 305 संकाय - पदों और 3776 गैर-संकाय-पदों को मिलाकर कुल 4089 पद स्वीकृत किए गए हैं। समिति नोट करती है कि कई एम्स में स्वीकृत पदों और भरे गए पदों के बीच भारी अंतर मौजूद है, जिससे विभिन्न एम्स में अध्यापन संकाय की संख्या प्रभावित हो रही है । समिति ने यह भी नोट किया कि अपेक्षित उम्मीदवारों की उपलब्धता न होने के कारण विशेषज्ञों और सुपर विशेषज्ञों के विभिन्न पद रिक्त रहते हैं । समिति नोट करती है कि भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश जैसे छह नए एम्स में से किसी में भी संकाय के सृजित किए गए 305 पद भरे नहीं गए हैं। 305 पदों के मुकाबले प्रत्येक एम्स संकाय में भरे गए पद क्रमशः केवल 209, 189, 219, 134, 160 और 225 हैं। यह इस बात का संकेत है कि इन एम्स में क्रमश 68.5 प्रतिशत, 62.1 प्रतिशत, 71.8 प्रतिशत, 43.9 प्रतिशत, 57.5 प्रतिशत और 73.8 प्रतिशत रिक्तियां भरी गई हैं। इसी तरह ऊपर बताए गए छह एम्स में गैर संकाय पदों का मामला है। भरे गए गैर-संकाय-पदों की संख्या क्रमश 1584, 1663, 2106, 1394, 2423 और 2974 है। समिति नोट करती है कि मंत्रालय को रिक्तियों को समय पर भरने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए ताकि संकाय पदों की कमी के कारण चिकित्सा शिक्षा और सेवाएं प्रभावित न हो। यहां तक कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोटे के दृष्टिगत आरक्षण रोस्टर को फिर से तैयार करने का कार्य भी तीव्र गति से करना चाहिए ताकि संकाय पदों (नियमित और संविदात्मक दोनों) को नियमित रूप

से भरे जा सकें । समिति मंत्रालय से प्रत्येक नए एम्स में विजिटिंग-फैकल्टी के दायरे को बढ़ाने की संभावना तलाशने की भी सिफारिश करेगी ताकि नियमित पद भरने तक चिकित्सा-शिक्षा और मार्गदर्शन को बेहतर किया जा सके ।

समिति ने नोट किया है कि सभी छह एम्स में भरे हुए संकाय और गैर संकाय के पदों की संख्या नियमित और संविदात्मक दोनों है। नियमित और संविदात्मक आधार पर पदों का विभाजन नहीं किया गया है। भर्ती नियमावली को अंतिम रूप न देने जैसे विभिन्न प्रशासनिक कारणों से नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में देरी होने पर नियमित स्वीकृत पदों के रिक्त होने के एवज में संविदा आधार पर नियुक्ति के लिए भर्ती की जाती है। नियमित स्वीकृत-पदों के तहत ये पद उपलब्ध नहीं होने पर और रोगी परिचर्या सेवाओं की तात्कालिक आवश्यकता और अन्य अनिवार्य अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अन्य स्वीकृत पदों के एवज में संविदात्मक नियुक्तियों का सहारा लिया जाता है । एम्स से मिली जानकारी के अनुसार, संविदात्मक पर कार्यबल के प्रतिस्थापन के रूप में संकाय और गैर संकाय पदों पर संविदात्मक आधार पर नियुक्ति नहीं की गई है।

समिति का मानना है कि इस तरह के विभाजन (नियमित और संविदात्मक नियुक्ति के बीच) के न होने से भ्रष्टाचार और कदाचार बढ़ेगा और इससे शिक्षा और सेवाओं की गुणवत्ता पर समझौता हो सकता है। इसलिए समिति मंत्रालय से पुरजोर सिफारिश करती है कि वह नियमित और संविदात्मक आधार पर विभिन्न पदों पर नियुक्ति के स्पष्ट विभाजन को लेकर नीतिगत निर्णय तैयार करे। समिति मंत्रालय से संविदात्मक पर नियुक्ति को न्यूनतम रखने का आग्रह करना चाहती है ताकि चिकित्सा शिक्षा सेवा के लिए गुणवत्तापूर्ण कार्यबल शक्ति उपलब्ध हो सके ।

सरकार का उत्तर

एम्स में, विभिन्न पदों पर भर्ती अतिरिक्त सेवाओं तथा शामिल की गई सुविधाओं के दायरे को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता के आधार पर की जाती है। विभिन्न एम्स के रिक्त पदों की स्थिति की निगरानी सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर की जाती है और रिक्तियों का विज्ञापन आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। तथापि, चूंकि राष्ट्रीय महत्व की इन संस्थानों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, चयन में उच्च मानकों को बनाए रखना होता है, इसलिए सभी विज्ञापित पद भरे नहीं जा सके।

जैसाकि समिति को पहले ही अवगत करा दिया गया है, नए एम्स में संकाय की पद संख्या में सुधार करने के लिए अनेक सुविधाजनक प्रावधान किए गए हैं, जिनका उल्लेख निम्नानुसार हैं:-

I.रिक्तियों को भरने में तेजी लाने को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्येक नए एम्स में स्थायी चयन समिति (एसएससी) का गठन।

II.प्रोफेसर और एडिशनल प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष कर दी गई है।

III.नए एम्स में रिक्त संकाय पदों को सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में सेवारत संकाय से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने की अनुमति दी गई है।

IV.सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों से सेवानिवृत्त 70 वर्ष की आयु तक के संकाय को संविदात्मक आधार पर नियोजित करने कीअनुमति भी दी गई है। स्टॉप गैप व्यवस्था के रूप में संविदा आधार पर संकाय की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार की अनुमति भी दी गई है।

V.प्रवासी भारतीय (ओसीआई) कार्ड धारकों को संकाय पदों पर नियुक्त करने की अनुमति दी गई है।

VI.नए एम्स में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संकाय को शिक्षण और अकादमिक उद्देश्यों के लिए काम करने की अनुमति देने के लिए नए एम्स में विजिटिंग फैकल्टी योजना तैयार की गई है।

VII.अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा अपने संबंधित संस्थान निकाय के अनुमोदन से एडीशनल/एसोसिएट प्रोफेसर के पदों की एक निश्चित अवधि के लिए सहायक प्रोफेसर के स्तर पर डाउन-ग्रेडिंग की अनुमति दी गई है।

VIII.एक विभाग से दूसरे विभाग में लोन आधार पर संकाय के अस्थायी स्थानांतरण की अनुमति दी गई है, जिसे संविदात्मक नियुक्ति पर भरा जा सकता है।

IX.कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी नियमों/दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को छूट दी गई है।

X.संकाय की भर्ती में तेजी लाने के लिए एक वर्ष की वैधता वाले रोलिंग विज्ञापन की अनुमति दी गई है जिसके बाद संकाय की संख्या के आधार पर नए चालू या सामान्य विज्ञापन फिर से जारी किए जा सकते हैं।

XI.संबंधित स्थायी चयन समिति की सिफारिशों पर विचार करने और अनुमोदित करने के लिए नए एम्स के शासी निकाय की एक उप-समिति का गठन किया गया है ।

XII.नर्सिंग संवर्गों के लिए केन्द्रीकृत भर्ती शुरू की गई है।

आशा है कि संकाय के स्वीकृत पद नियमित आधार पर भरे जाते हैं। संस्थान की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संविदात्मक रोजगार केवल एक अल्पकालिक उपाय है। इसलिए नियमित और संविदात्मक नियुक्ति के बीच किसी प्रकार का औपचारिक विभाजन निर्धारित करना वांछनीय नहीं होगा। समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, मंत्रालय सभी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों को नियमित रूप से सलाह देता है कि वे स्वीकृत पदों को नियमित आधार पर भरें।

टिप्पणियां/सिफारिशें (पैरा सं 13)

प्रत्येक एम्स के लिए अलग से बजट आबंटित किये जाने की आवश्यकता

समिति नोट करती है कि वर्ष 2012 में संशोधित एम्स अधिनियम 1956 की धारा 15 में यह कहा गया है कि:

> "केंद्र सरकार, इस संबंध में संसद द्वारा, कानून के द्वाराकिए गए विनियोग के अधीन, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1 [प्रत्येक संस्थान] को उतनी धनराशि का भुगतान उस रीति में कर सकती है जिसे सरकार इस अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग और कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।"

मंत्रालय द्वारा समिति को सूचित किया गया है कि पीएमएसएसवाई डिवीजन के तहत सभी परियोजनाओं के लिए आवंटन किया जाता है जिसमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना के साथ-साथ सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) का उन्नयन शामिल है।

यह आवंटन संयुक्त आवंटन है न कि संस्थानवार। पूंजी शीर्ष के तहत किये गये आवंटन का उपयोग परियोजना की स्थापना के भाग के रूप में प्रमुख कार्यों और उपकरणों की खरीद के लिए किया जाता है, जबकि राजस्व शीर्ष के तहत किया गया आवंटन कार्यशील अथवा अंशत: कार्यशील संस्थानों को चिकित्सा उपकरणों के रखरखाव या खरीद/प्रतिस्थापन सहित वेतन और अन्य प्रशासनिक व्यय के संबंध में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है ।

समिति यह नोट करके व्यथित है कि जब अधिनियम में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक संस्थान को आवंटन प्रदान करने का प्रावधान है, तो भारत सरकार एम्स वार बजटीय प्रावधान क्यों नहीं कर रही है। जैसा कि समिति को सूचित किया गया है, 8 अप्रैल 2021 को हुई समिति की बैठक के दौरान मंत्रालय के

प्रतिनिधियों ने यह बताया कि 16 एम्स परियोजनाएं चल रही हैं जिनके लिए उन्हें सिविल कार्यों को पूरा करने के साथ-साथ मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए पूंजी शीर्ष के तहत निधि आवंटित किये जाने की जरुरत है। जैसे-जैसे नए एम्स काम करना शुरू करेंगे, उनके संचालन के लिए खर्च की भी आवश्यकता होगी। अभी, उन्हें केवल छह एम्स या कुछ और संसथान जहां एमबीबीएस और ओपीडी शुरू हुई है, के लिए निधियों की आवश्यकता है। लेकिन एक बार जब आईपीडी और अन्य सभी सेवाएं शुरू हो जाती हैं, तो उन एम्स के संचालन के लिए परिचालन व्यय या सेवाएं प्रदान करने, वेतन या अतिरिक्त सिविल निर्माण या अतिरिक्त मशीनरी या मशीनरी के प्रतिस्थापन के लिए कोई अतिरिक्त पूंजी निवेश प्रदान करने के लिए सहायता अनुदान के रूप में आवश्यकता के अनुरूप इन शीर्षों के तहत राशि में वृद्धि की जाएगी । उन्हें अगले पांच वर्षों में लगभग 49,800 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, जबकि अगले पांच वर्षों के लिए मंत्रालय को लगभग 39,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जाने की बात कही गयी है।

समिति पुरजोर रूप से महसूस करती है कि प्रत्येक एम्स को एक सुनिश्चित निधि निर्धारित किए बिना, संस्थान अपनी भविष्य की आवश्यकताओं जैसे भवन निर्माण, अतिरिक्त मशीनों की योजना नहीं बना सकता है जिसके परिणामस्वरूप तदर्थ योजना बनाई जाएगी और वे योजना के अनुसार कार्यान्वयन नहीं कर सकते हैं । समिति नोट करती है कि कार्य की प्रगति और निष्पादन एजेंसियों (ईए) द्वारा अनुमानित आवश्यकताओं के आधार पर निधि जारी की जाती है। यह एक तरह से उन एम्स पर व्यापक प्रभाव डालता है जो धीमी गति से चल रहे हैं और इससे वे आगे चलकर उपेक्षित हो जाएंगे। अत: समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इस मामले को व्यय विभाग , वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाये ताकि एम्स अधिनियम के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अनुदान मांगों में प्रत्येक एम्स को सुनिश्चित निधि आवंटन निर्धारित किया जा सके।

सरकार का उत्तर

पीएमएसएसवाई के चरण-I में अनुमोदित 6 एम्स के अलावा, अन्य 16 एम्स पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं। चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निष्पादन एजेंसियों और अधिप्राप्ति सहायता एजेंसी को पीएमएसएसवाई के पूंजी शीर्ष के अंतर्गत समेकित आबंटन जारी किया जाता है। चूंकि ईए और पीएसए द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए मंत्रालय अलग-अलग परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति के आधार पर संबंधित एजेंसियों को सीधे निधियां जारी करता हैं, इसलिए एम्स-वार निधियों का निर्धारण अपेक्षित नहीं है। पीएमएसएसवाई के राजस्व शीर्ष के अंतर्गत आबंटन के संबंध में, जिसमें से कार्यशील और आंशिक रूप से कार्यशील एम्स को सहायता अनुदान जारी किया जाता है, यह बताया जाता

है कि किसी वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक एम्स के बजट पर संबंधित संस्थानों की स्थायी वित्त समिति द्वारा चर्चा की जाती है और निर्णय लिया जाता है। इसलिए संस्थानों को सहायता अनुदान के तीन शीर्षों अर्थात वेतन, सामान्य और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के तहत अपने सांकेतिक आवंटन के बारे में पता होता है। तथापि, राजस्व शीर्ष के संबंध में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अनुदानों की मांगों में प्रत्येक एम्स को निधि आबंटन निर्धारित करने संबंधी समिति की सिफारिश पर सहमति है और इस दिशा में पीएमएसएसवाई के चरण-I के 6 कार्यशील एम्स से शुरूआत करते हुए वित्त मंत्रालय के परामर्श से आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

टिप्पणियां/सिफारिशें (पैरा सं 14)

सभी एम्स के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन की आवश्यकता

समिति यह नोट करती है कि पीएमएसएसवाई के तहत 2016-17 से 2021-22 तक, अनुमानित आवश्यकता और बीई स्तर पर आवंटन में अंतर है। वर्ष 2018-19 और 2019-20 को छोड़कर, बीई चरण में आवंटन की तुलना में आरई चरण में कम आवंटन हुआ है। वर्ष 2021-22 के दौरान 8965.14 करोड़ रुपये के प्रस्तावित आवंटन के प्रति बीई चरण में 7000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। 22 अक्तूबर, 2021 तक 3903.41 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। समिति यह भी पाती है कि यह खर्च कुछ विपथन को छोड़कर विभिन्न एम्सों के लिए प्रभावी रिलीज से कम है। समिति यह नोट करती है कि वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक एम्स भोपाल को वास्तव में जारी की गई राशि 1357.07 करोड़ रुपये की तुलना में 980.83 करोड़ रुपये का खर्च किये गये है। व्यय का प्रतिशत 72.27 प्रतिशत है। एम्स भुवनेश्वर को वास्तव में जारी की गई राशि 1377.50 करोड़ रुपये की तुलना में 1216.58 करोड़ रुपये का खर्च हुए है। व्यय का प्रतिशत 88.31 प्रतिशत है। एम्स जोधपुर 1822.10 करोड़ रुपए की वास्तव में जारी की गई राशि की तुलना में 1694.11 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाया है। व्यय का प्रतिशत 92.97 प्रतिशत है। एम्स पटना 1314.06 करोड़ रुपये की वास्तव में जारी की गई राशि की तुलना में 1020.20 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाया है। व्यय का प्रतिशत 77.63 प्रतिशत है। एम्स मंगलगिरी वास्तव में जारी किये गये 196.87 करोड़ रुपये की तुलना में 117.99 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाया है। व्यय का प्रतिशत 59.93 प्रतिशत है। एम्स कल्याणी वास्तव में जारी किये गये 75.89 करोड़ रुपये की तुलना में 24.60 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाया है। व्यय का प्रतिशत 32.41 प्रतिशत है। एम्स गुवाहाटी वास्तव में जारी किये गये 19.9 करोड़ रुपये की तुलना में 5.53 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाया है। व्यय का प्रतिशत 27.78 प्रतिशत है।

एम्स बीबीनगर वास्तव में जारी किये गये 98.22 करोड़ रुपये तुलना में 38.41 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाया है। व्यय का प्रतिशत 39.10 प्रतिशत है। एम्स गोरखपुर वास्तव में जारी किये गये 122.82 करोड़ रुपये तुलना में 79.78 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाया है। व्यय का प्रतिशत 64.95 प्रतिशत है। एम्स भटिंडा वास्तव में जारी किये गये 75.46 करोड़ रुपये तुलना में 44.26 करोड़ रुपये का खर्च कर पाया है। व्यय का प्रतिशत 58.65 प्रतिशत है। एम्स देवघर वास्तव में जारी किये गये 62.25 करोड़ रुपये तुलना में 14.58 करोड़ रुपये का खर्च कर पाया है। व्यय का प्रतिशत 23.42 प्रतिशत है। एम्स बिलासपुर वास्तव में जारी किये गये 17.53 करोड़ रुपये तुलना में6.96 करोड़ रुपये का खर्च कर पाया है। व्यय का प्रतिशत 39.7 प्रतिशत है। एम्स रायपुर वास्तव में जारी किये गये 1416.58 करोड़ रुपये तुलना में 1105.65 करोड़ रुपए का खर्च कर पाया है। व्यय का प्रतिशत 78.05 प्रतिशत है। एम्स ऋषिकेश वास्तव में जारी किये गये 2274.51 करोड़ रुपये की तुलना में 1882.34 करोड़ रुपये का खर्च कर सका है। व्यय का प्रतिशत 82.75 प्रतिशत है। एम्स रायबरेली वास्तव में जारी किये गये 181.15 करोड़ रुपये की तुलना में 49.95 करोड़ रुपये का खर्च खर्च कर पाया है। व्यय का प्रतिशत 27.57 प्रतिशत है। एम्स नागपुर वास्तव में जारी किये गये 222.54 करोड़ रुपये तुलना में 129.10 करोड़ रुपये का खर्च कर पाया है। व्यय का प्रतिशत 58.01 प्रतिशत है। जम्मू के एम्स विजयपुर में वास्तव में जारी किये गये 1 करोड़ रुपये की तुलना में खर्च शून्य रहा है। जम्मू-कश्मीर में एम्स अवंतीपुर में वास्तव में जारी किये गये 1.50 करोड़ रुपये की तुलना में खर्च शून्य रहा है। एम्स राजकोट वास्तव में जारी किये गये 18.46 करोड़ रुपये की तुलना में 9.10 करोड़ रुपये खर्च कर पाया है। व्यय का प्रतिशत 49.29 प्रतिशत है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने यह बताया है कि उन्हें परिचालन व्यय के लिए अतिरिक्त आवंटन किये जाने की आवश्यकता है। अभी, उन्हें केवल छह एम्स या कुछ और जहां एमबीबीएस कोर्स और ओपीडी शुरू हुई है, के लिए इसकी आवश्यकता है। लेकिन एक बार जब आईपीडी और अन्य सभी सेवाएं शुरू हो जाती हैं, तो उन एम्स के परिचालन के लिए परिचालन व्यय या सेवाएं प्रदान करने, वेतन या अतिरिक्त सिविल निर्माण या अतिरिक्त मशीनरी या मशीनरी के प्रतिस्थापन के लिए किसी अतिरिक्त पूंजी निवेश के लिए सहायता अनुदान के रूप में इन शीर्षों के तहत राशि की आवश्यकता बढ़ेगी। उन्हें अगले पांच वर्षों में लगभग 49,800 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, जबकि मंत्रालय को अगले पांच वर्षों के लिए लगभग 39,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जाने के बारे में कहा गया है।

अत: समिति पुरजोर रूप से सिफारिश करती है कि मंत्रालय प्रत्येक एम्स की आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त आवंटन प्रदान करने के लिए इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ शीर्ष स्तर पर उठाए । साथ ही समिति इस बात पर बल देती है कि मंत्रालय इस धनराशि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करे । समिति को इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

समिति यह देखती है कि पीएमएसएसवाई के लिए बजटीय सहायता को बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी (एचईएफए) के माध्यम से वित्त पोषण अतिरिक्त बजटीय संसाधन के रूप में उपलब्ध कराया गया था। तथापि, दिनांक 7-9-2020 के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 13(04)पीएफसी-II/2016 के तहत एचईएफए का वित्तपोषण बंद कर दिया गया था। तथापि, इसे बंद करने का कोई विशिष्ट कारण नहीं बताया गया। इसके अतिरिक्त उपरोक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन में आगे यह भी बताया गया था कि जहां तक एचईएफए के तहत पहले से स्वीकृत परियोजनाओं का संबंध है, तो जरुरत पड़ने पर बजट से और धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इन परियोजनाओं के संबंध में एचईएफए द्वारा आगे और राशि उधार नहीं ली जाएगी।

चूंकि एचईएफए को बंद कर दिया गया है, अत: समिति चाहती है कि मंत्रालय सभी एम्स के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान सुनिश्चित करे ताकि किसी भी एम्स की परियोजना को धन की कमी न रहे।

सरकार का उत्तर

पीएमएसएसवाई के तहत परियोजनाओं के निष्पादन के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान उपलब्ध कराया गया है। किसी अतिरिक्त आवश्यकता के मामले में इसे संशोधित प्राक्कलन स्तर पर वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जाएगा। निधियों के अभाव में चालू परियोजनाओं की प्रगति प्रभावित नहीं होने दी जाएगी।

<u>टिप्पणियां/सिफारिशें (पैरा सं 16)</u>

एम्स पटना में अनियमितताएं

एम्स पटना के शासी निकाय ने वर्ष 2012 में हुई अपनी बैठक में विभिन्न शिक्षण स्टाफ पदों पर नियुक्ति में कुछ अनियमितताएं पाई गयी थीं। जांच की स्थिति तथा नियुक्त व्यक्ति के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए, समिति को सूचित किया गया कि उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट

एम्स पटना के शासी निकाय की आईबी, के समक्ष रखी गई थी। शासी निकाय ने दिनांक 18.02.2021 को हुई अपनी तीसरी बैठक में एजेंडा संख्या। 3/11 ने निम्नलिखित निर्णय लिया:

(क) शासी निकाय ने उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों और संस्थान के अध्यक्ष द्वारा गठित समिति की सिफारिशों को स्वीकार लिया है।

(ख) दोनों समितियों की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद इस बात का पता चला कि तीन मामलों अर्थात डॉ ए.के.सक्सेना, डॉ सुष्मिता दास और डॉ आलोक रंजन, के सिवाए शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी।

(ग) शासी निकाय ने एम्स पटना को इन तीनों शिक्षण स्टाफ सदस्यों की सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।

तदनुसार, उन तीन शिक्षण स्टाफ सदस्यों जिनकी नियुक्ति शासी निकाय द्वारा अनियमित पाई गई थी, को दिनांक 26.05.2021 को एक चार्जशीट जारी की गई है। उनसे जवाब मिल गया है। आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए आईओ/पीओ की नियुक्ति की जा रही है।

समिति यह जानकर क्षुब्ध है कि नौ वर्षों बित जाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। समिति इस तरह की अनियमितताओं के लिए मंत्रालय के कठोर रवैये की निंदा करती है। अत: समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह और समय गवाए बिना जल्द से जल्द शासी निकाय द्वारा वांछित कार्रवाई को पूरा करे और उन्हें इस संबंध में की गई अंतिम कार्रवाई से अवगत कराए।

समिति यह भी नोट करती है कि हॉस्टल वार्डन के पद के लिए कुछ एम्स ने जूनियर वार्डन के पद के लिए विज्ञापन निकाला है न कि वरिष्ठ वार्डन के पद के लिए । जूनियर वार्डन के पद के अहर्ता 10वीं पास है। समिति यह जानकर हैरान है कि एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए अहर्ता को इतना कम करने से निश्चित रूप से सेवाओं की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अत: समिति मंत्रालय से अनुरोध करती है कि वह इस मामले की पूरी ईमानदारी से जांच करे और विभिन्न पदों पर उपर्युक्त अहर्ता वाले योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करे और उसे इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए ।

सरकार का उत्तर

एम्स, पटना के शासी निकाय ने दिनांक 18.02.2021 को आयोजित अपनी बैठक में तीन संकाय सदस्यों अर्थात् डॉ ए. के. सक्सेना, डॉ सुष्मिता दास और डॉ आलोक रंजन के खिलाफ सीसीएस (सीसीए) नियम

1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया। तदनुसार, उन्हें आरोप पत्र जारी किए गए हैं और जांच अधिकारी और प्रस्तुतीकरण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इन तीनों मामलों की प्रारंभिक सुनवाई 20 दिसंबर 2021 को पूर्वाह्न 11:00 बजे की गई है। सुनवाई की अगली तारीख अगस्त, 2022 निर्धारित की गई है।

सीआईबी के फैसलों के अनुसार, एम्स पटना एम्स दिल्ली के भर्ती नियमों का पालन कर रहा है और भर्ती नियम के अनुसार केवल जूनियर वार्डन (हाउस कीपर) के पद का विज्ञापन दिया जा सकता है। एम्स दिल्ली भर्ती नियमों के अनुसार, जूनियर वार्डन (हाउस कीपर) जिसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है, के पद के लिए योग्यता, 'मान्यताप्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन, स्टोर कीपिंग / पब्लिक रिलेशन या एस्टेट मैनेजमेंट में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव या स्टोर कीपिंग / सामग्री प्रबंधन / जनसंपर्क / हाउसकीपिंग में प्रमाण पत्र या औपचारिक प्रशिक्षण' है। इसके अलावा, एम्स पटना में वरिष्ठ वार्डन का कोई पद नहीं है। हालांकि, वार्डन (हॉस्टल वार्डन) का पद मौजूद है।

एम्स नागपुर में वार्डन की भर्ती वर्ष 2018-2019 में इसके मेंटॉर इंस्टीट्यूट अर्थात एम्स रायपुर द्वारा की गई थी। एक पुरुष वार्डन और एक महिला वार्डन ने संस्थान में कार्य ग्रहण कर लिया है और दोनों के पास न्यूनतम योग्यता स्नातक की है।

एम्स बीबीएसआर में, छात्रावास (वार्डन) के 05 पदों में से 03 पद वर्ष 2017 में भर्ती नियमों के अनुसार भरे गए हैं। उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण 02 पद रिक्त रह गए। भर्ती नियमों के अनुसार अनिवार्य योग्यता स्नातक है। वार्डन के स्वीकृत पद को न तो जूनियर वार्डन के रूप में डाउनग्रेड किया गया है और न ही लागू नियम में निर्धारित योग्यता में बदलाव किया गया है। 10 जूनियर वार्डन (हाउस कीपर) को भी स्वीकृति दी गई है जिसे समूह-ग पद के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इस संस्थान द्वारा इसका विज्ञापन कभी नहीं दिया गया है।

एम्स ऋषिकेश में छात्रावास वार्डन के 05 पद और कनिष्ठ वार्डन (हाउस-कीपर) के 10 पद संस्वीकृत किए गए हैं और संस्थान की कार्यात्मक आवश्यकता को पूरा करने के लिए सभी स्वीकृत पदों का उपयोग तदर्थ नियुक्ति पर किया जाता है। हालांकि, संस्थान द्वारा हॉस्टल वार्डन के सभी पदों के लिए विज्ञापन दिया गया

है और इस वर्ष के अंत तक इन पदों को भरने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही भर्ती नियमों के अनुसार इन पदों के लिए योग्यता घटाने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं देखा गया है।

टिप्पणियां/सिफारिशें (पैरा सं 17)

नए एम्स की दक्षता

"एम्स दिल्ली में प्रदान की जा रही चिकित्सा सुविधाओं और चिकित्सा शिक्षा जैसी ही सुविधा और शिक्षा प्रदान करने हेतु नए प्रस्तावित एम्स को दक्ष बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में समिति को यह बताया गया है कि एम्स में रोगी देखभाल संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। तथापि, रोगियों की बढ़ती संख्या, चिकित्सा क्षेत्र में नवाचारों और प्रगति के साथ, स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट की उपलब्धता के अध्यधीन नई सुविधाओं को शामिल/उन्नयन किया गया है। नए एम्स में शिक्षण स्टाफ के चयन के लिए उच्च मानक है। नए एम्स में चयन के लिए आपेक्षित शैक्षिक योग्यता, अनुसंधान या शिक्षण अनुभव एम्स, नई दिल्ली के समान ही हैं। शिक्षण स्टाफ के कौशल स्तर या ज्ञान के आधार को अद्यतन रखने के लिए, उन्हें समय-समय पर प्रशिक्षण/सम्मेलनों में भाग लेने के लिए भेजा जाता है। नए एम्स में छात्र केन्द्रित समस्या आधारित, समेकित और समुदाय उन्मुखी शिक्षण व्यवस्था है जिसमें आधारभूत पाठ्यक्रम, चिकित्सा आधार, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, नैदानिक शिक्षण शामिल हैं।

समिति यह नोट करती है कि विभिन्न एम्स में अनेक शिक्षण और गैर शिक्षण पदों पर बहुत सारी रिक्तियां हैं। कई पद संविदात्मक प्रकृति के हैं और कई पदों को भरने में विलम्ब हो रहा है। वर्तमान में एक एम्स से दूसरे एम्स में शिक्षण स्टाफ के रोटेशन/ट्रांसफर का कोई प्रावधान नहीं है। आज तक एम्स रायपुर में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी और न्यूक्लियर मेडिसिन के क्षेत्र में कोई स्पेशियलिटी/सुपर स्पेशियलिटी नहीं है। एम्स पटना में नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी और मेटाबॉलिक रोगों के क्षेत्र में कोई स्पेशियलिटी/सुपर स्पेशियलिटी नहीं है। एम्स भोपाल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी और क्लिनिकल हेमेटोलॉजी के क्षेत्र में कोई स्पेशियलिटी/सुपर स्पेशियलिटी नहीं है। एम्स जोधपुर में, मेडिकल ऑन्कोलॉजी और क्लिनिकल हेमेटोलॉजी के क्षेत्र में कोई स्पेशियलिटी/सुपर स्पेशियलिटी नहीं है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि के दृष्टिगत समिति का दृढ़ मत है कि मंत्रालय को विभिन्न एम्स में उपरोक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए ताकि सभी एम्स में रोगी सेवाएं प्रदान की जा सकें। समिति यह भी सिफारिश करना चाहती है कि मंत्रालय एक एम्स से दूसरे एम्स में शिक्षण स्टाफ के रोटेशन/ट्रांसफर के प्रावधान की व्यवहार्यता का पता लगाए, ताकि सभी नए एम्स में शिक्षा और सेवाओं की गुणवत्ता एम्स नई दिल्ली के समान हो।"

सरकार का उत्तर

"एम्स पर समिति की विशिष्ट टिप्पणियों पर, निम्नलिखित बताया गया है:

i. एम्स भोपाल बहुत जल्द गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, क्लिनिकल हीमेटोलॉजी सहित विभिन्न विषयों से संबंधित 94 संकाय पदों का विज्ञापन करने की प्रक्रिया में है। प्रस्तावित विज्ञापन के पूरा होने पर रिक्तियों में अत्यधिक कमी आने की उम्मीद है। गैर-संकाय पदों के संबंध में, संस्थान की विशेष शासी निकाय बैठक में, पीएसयू या उनकी सूचीबद्ध एजेंसियों सहित तीसरे पक्ष को समूह ख और ग पदों की भर्ती प्रक्रिया सौंपने का निर्णय लिया गया है। एम्स भोपाल ने प्रतिनियुक्ति के आधार पर गैर-संकाय समूह-क पदों का विज्ञापन पहले ही दे दिया है।

ii. एम्स जोधपुर में, मेडिकल ऑन्कोलॉजी/ हेमेटोलॉजी विभाग कार्यशील है और इस विभाग में एक संकाय सदस्य कार्य कर रहा है।

iii. एम्स रायपुर में सभी स्वीकृत स्पेशियलिटी विभाग अर्थात् 18 कार्यशील हैं। क्लिनिकल हेमेटोलॉजी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी का सुपर-स्पेशियलिटी विभागकार्यशील है। तथापि, न्यूरोलॉजी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग कार्यशील नहीं हैं। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग भी कार्यशील नहीं है। तथापि, संस्थान के संबंधित सर्जिकल विभागों द्वारा विभिन्न ऑन्को- सर्जिकल मामलों संबंधी कार्य किया जा रहा है। संकाय सदस्यों के सभी रिक्त पदों को नियमित/प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर भरने के लिए विज्ञापन दिया गया है और भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

iv. एम्स पटना में, समुचित संकाय सदस्यों की उपलब्धता न होने के कारण 4 सुपर-स्पेशियलिटी विभाग अर्थात न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी और मेटाबॉलिज्म और मेडिकल ऑन्कोलॉजी और हेमेटोलॉजीविभागकार्यशील नहीं हैं। पदों को अवनत करने के बाद नए सिरे से विज्ञापन दिया गया है। संकाय के 158 पदों के लिए दिनांक 18.10.2021 के विज्ञापन और

11 संकाय पदों के लिए दिनांक 18.02.2022 के विज्ञापन के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। दोनों विज्ञापनों के लिए साक्षात्कार की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। इसके अलावा, गैर-संकाय पदों के लिए भर्ती नियम विचाराधीन हैं और भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद;तदनुसार शेष गैर-संकाय पदों के लिए विज्ञापन दिया जाएगा।

वर्तमान में, संकाय के एक एम्स से दूसरे एम्स में पारस्परिक स्थानांतरण के लिए कोई नीति नहीं है।

टिप्पणियां/सिफारिशें (पैरा संख्या 18)

सभी एम्स में एमबीबीएस पाठ्यक्रमों के लिए एक समान पाठ्यक्रम की आवश्यकता, पाठ्यक्रम पूरा करने, परीक्षा आयोजित करने और एक सशक्त मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए नियम और विनियम ।

प्रत्येक नए एम्स के लिए एमबीबीएस कोर्स के पाठ्यक्रम के संबंध में, समिति समिति यह नोट करती है कि भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश स्थित एम्स में एमबीबीएस पाठ्यक्रम है और संबंधित संस्थानों की स्थायी अकादमिक समिति ने अकादमिक पाठ्यक्रमों को अनुमोदित कर दिया है। समिति के एम्स कल्याणी के अध्ययन दौरे के दौरान, यह पता चला है कि उस संस्थान की स्थायी अकादमिक समिति ने समुचित पाठ्यक्रम संरचना को अंतिम रूप नहीं दिया है। समिति को इस बात की आशंका है कि क्या सभी 16 नए एम्स में एमबीबीएस की पाठ्यचर्या है या नहीं। अत: समिति चाहती है कि मंत्रालय सभी नए एम्स में पाठ्यचर्या की स्थिति के संबंध में समिति को अवगत कराए। समिति का यह भी मत है कि सभी एम्स में एमबीबीएस पाठ्यक्रमों के लिए एक समान पाठ्यचर्या होना चाहिए और उन्हें पाठ्यक्रम पूरा करने, परीक्षा आयोजित करने और एक सशक्त मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए समुचित नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए। अत: समिति सिफारिश करती है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी एम्स में एमबीबीएस पाठ्यक्रमों के लिए एक समान पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम पूरा करने, परीक्षा आयोजित करने और एक सशक्त मूल्यांकन प्रक्रिया हेतु एक समान नियम और विनियम सुनिश्चित करने के लिए तंत्र तैयार करे । समिति यह भी चाहती है कि उसे इस संबंध में उठाए गए कदमों से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में स्नातकोत्तर और स्नातक पाठ्यक्रम स्थायी शैक्षणिक समिति और शासी निकाय के अनुमोदन के अनुसार संचालित किए जा रहे हैं।

एम्स, नई दिल्ली की तरह, सभी नए एम्स स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन स्वतंत्र स्वायत्त निकाय हैं और अपनी स्थायी शैक्षणिक समिति और शासी निकाय द्वारा अनुमोदित एमबीबीएस पाठ्यक्रम को कार्यान्वित कर रहे हैं। एम्स देवघर, मंगलागिरी, नागपुर, बठिंडा, बीबीनगर और जम्मू एमबीबीएस पाठ्यक्रम, नियमों और विनियमों, परीक्षाओं और मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुसरणएम्स दिल्ली के अनुसारकरते हैं। एम्स गुवाहाटी और एम्स गोरखपुर अपने संबंधित संरक्षक संस्थानों अर्थात एम्स भुवनेश्वर और एम्स जोधपुर के अनुसार एमबीबीएस पाठ्यक्रम, नियमों और विनियमों, परीक्षाओं और मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुसरण कर रहे हैं। एम्स कल्याणी में एम्स भुवनेश्वर के पाठ्यक्रम और पाठ्यकृत का अनुसरण किया जा रहा है। बिलासपुर में, एमबीबीएस पाठ्यक्रम की कोर्स संरचना को एनएमसी दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है और कोर्स पाठ्यक्रम में विभिन्न शिक्षण, परीक्षा और मूल्यांकन विधियां शामिल हैं। इसी प्रकार से, एम्स रायबरेली में, एमबीबीएस पाठ्यक्रम की कोर्स संरचना यूजी पाठ्यक्रम के मुख्य विषयों के संकायों के परामर्श से तैयार की गई है। पाठ्यक्रम को एनएमसी दिशानिर्देशों के अनुसार कवर किया गया है। एम्स पटना ने एनएमसी पर एईटीसीओएम मॉड्यूल के आधार पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम का मसौदा तैयार और कार्यान्वितकिया है। इसमें न्यूनतम परिवर्तन के साथ सभी मॉड्यूल शामिल किए गए हैं। एम्स पटना की स्थायी शैक्षणिक समिति से मंजूरी मिलने के बाद इस पाठ्यक्रम का पहले से ही एमबीबीएस 2020 बैच से कार्यान्वयन किया जा चुका है।

सभी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में एमबीबीएस कोर्स के लिए एक समान पाठ्यक्रम सुनिश्चित करने के लिए तंत्र विकसित करने कोर्स पूरा करने के लिए एक समान नियमों और विनियमों, परीक्षा आयोजित करने और एक सुदृढ़ मूल्यांकन प्रक्रिया को उचित मंच पर विचार करने के लिए समिति की सिफारिश को नोट कर लिया गया है।

अध्याय - तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती

टिप्पणियां/सिफारिशें (पैरा संख्या 10)

एम्स के लिए बेहतर संपर्क की आवश्यकता

समिति नोट करती है कि एम्स के लिए चयनित भूमि स्थल के लिए निर्धारित शर्तों में से एक संस्थान से राष्ट्रीय राजमार्गों तक चार लेन की सड़क संपर्कता है जो कि राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाएगी। समिति ने पाया कि अधिकांश एम्स मुख्य शहरों की बाहरी परिधि में स्थित हैं। समिति द्वारा एम्स कल्याणी की अध्ययन यात्रा के दौरान, समिति ने पाया कि कोलकाता के मुख्य शहर और एम्स कल्याणी के बीच की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। मुख्य शहर से एम्स तक का कोई सबसे तेज और उचित संपर्क साधन नहीं है। समिति महसूस करती है कि सभी एम्स में सड़क संपर्क के मुद्दे को और अधिक सख्ती से उठाया जाना चाहिए और मंत्रालय को सक्रिय रूप से सड़क की स्थिति की निगरानी करनी चाहिए ताकि प्रत्येक एम्स परियोजना में चार लेन की सड़क संपर्कता अनिवार्य रूप से पूरी की जा सके ।

सरकार का उत्तर

समिति ने नोट किया है कि एम्स के लिए भूमि स्थल की अंतर्निहित शर्तों में से एक यह है कि राज्य सरकारों द्वारा संस्थान से राष्ट्रीय राजमार्गों तक चार लेन की कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। समिति ने पाया कि ज्यादातर एम्स मुख्य शहरों के बाहरी इलाके में स्थित हैं। समिति द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी के अध्ययन दौरे के दौरान पाया गया कि कोलकाता के मुख्य शहर से एम्स कल्याणी के बीच की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। मुख्य शहर से एम्स तक कोई उचित परिवहन व्यवस्था नहीं है। समिति का मानना है कि सभी एम्स में सड़क संपर्क के मुद्दे को और अधिक सख्ती से उठाया जाना चाहिए और मंत्रालय को सक्रिय रूप से सड़क स्थिति की निगरानी करनी चाहिए ताकि प्रत्येक एम्स परियोजना के लिए चार लेन कनेक्टिविटी की आवश्यकता अनिवार्य रूप से पूरी की जा सके।

अध्याय - चार

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं

टिप्पणियां/सिफारिशें (पैरा संख्या 2)

सभी नए एम्स की स्थिति में समानता लाने की जरूरत

एम्स, नई दिल्ली और अन्य छह नए एम्स की स्थिति के बीच अंतर के मुद्दे पर, समिति को सूचित किया गया है कि उनके संचालन के वर्षों में, ये एम्स, अधिनियम के दायरे से बाहर रहे और एक केंद्रीय शीर्ष संस्था द्वारा शासित थे; इसलिए, इन एम्स की कुछ विशेषताएं एम्स, नई दिल्ली से अलग हैं। उदाहरणार्थ, एम्स, नई दिल्ली, में कुछ विभागों को विभिन्न केन्द्रों जैसे- राजेंद्र प्रसाद सेंटर फॉर ऑप्थल्मोलॉजी, कार्डियो एंड न्यूरो सेंटर, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट को और अधिक वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां सौंपी गई हैं और उनके अपने प्रशासनिक और क्रय अधिकारी हैं। अन्य एम्स संस्थानों में ऐसा नहीं है। एम्स, नई दिल्ली में एक निदेशक और चिकित्सा अधीक्षक है, और एक केंद्रीकृत ढांचा है जबकि अन्य एम्स में कार्यकारी निदेशक और विभाग प्रमुख हैं। पिछले कुछ वर्षों में, एम्स, नई दिल्ली में, अब 31 स्पेशियलिटी और 20 सुपर स्पेशियलिटी हैं। यहां एमडी, एमएस, डीएम, एमसीएच और रोगी देखभाल सेवाओं कि शिक्षा दी जाती है। यद्यपि, नए एम्स में 17 सुपर स्पेशियलिटी और 18 स्पेशियलिटीज हैं। एम्स, नई दिल्ली द्वारा पांच पैरामेडिकल साइंसेज और एमएससी के लिए नौ स्नातक कार्यक्रम (यूजी पाठ्यक्रम) चलाए जाते हैं जिनमें से अधिकांश अन्य एम्स में नहीं हैं। एम्स, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न स्पेशियलिटीज़ में 33 एकवर्षीय फैलोशिप पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं जो अन्य एम्स में नहीं है। एम्स, नई दिल्ली आमतौर पर रिक्त संकाय पदों के लिए विज्ञापनों के संबंध में प्राप्त होने वाले आवेदनों के लिए एक महीने की समय अवधि का पालन करता है जबकि अन्य एम्स में, एक वर्ष की वैधता के साथ विज्ञापनों को चलाने या दिए जाने की व्यवस्था है।

समिति का दृढ़ विचार है कि जब सभी नए एम्स, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम 1956 द्वारा शासित हो रहे हैं, जिसमें वर्ष 2012 में संशोधन किया गया था, तो उपकरण की खरीद के लिए प्रत्यायोजित वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों तथा एम्स, दिल्ली और अन्य एम्स में विशिष्टताओं और सुपर स्पेशियलिटी शिक्षण के मामले में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। यदि असमानता इसी प्रकार जारी रही तो लोग दूसरे एम्स जाने के बजाय एम्स नई दिल्ली में ही भागते रहेंगे। परिणामस्वरूप, सस्ती/विश्वसनीय क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का उद्देश्य सपना मात्र बन के रह जाएगा। इसलिए, समिति पुरजोर यह सिफ़ारिश करती है कि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को सभी एम्स संस्थानों को एम्स, नई दिल्ली के समान ही दर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए।

सरकार का उत्तर

विभिन्न पदाधिकारियों की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां एम्स, विनियमन, 2019 में परिभाषित की गई हैं, जो सभी एम्स के लिए समान रूप से लागू होती हैं। एम्स के निदेशकों की वित्तीय शक्तियां संबंधित एम्स के शासी निकाय/संस्थान निकाय के अनुमोदन से प्रत्यायोजित की गई हैं। पीएमएसएसवाई के तहत नए एम्स की तुलना में एम्स, नई दिल्ली के बड़े पैमाने के कार्य संचालन को ध्यान में रखते हुए, निदेशक, एम्स, नई दिल्ली की प्रत्यायोजित वित्तीय शक्ति अधिक है। जहां तक एम्स, नई दिल्ली की तुलना में कम स्पेशलिटी और सुपर स्पेशियलिटी विभागों वाले नए एम्स का संबंध है, यह उल्लेख किया गया है कि नई दिल्ली स्थित एम्स छह दशकों से अधिक समय से क्रियाशील है और इसने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वयं को एक प्रमुख संस्थान स्थापित किया है। संस्थान में सुपर-स्पेशियलिटी और सुपर-स्पेशियलिटी विभागों की संख्या में चिकित्सा विज्ञान में प्रगति, सुपर-स्पेशलिस्ट की उपलब्धता में वृद्धि और संस्थान के सक्षम निकायों के अनुमोदन के साथ वृद्धि हुई है। जहां तक नए एम्सों का संबंध है, संस्थान की स्थापना के भाग के तौर पर इनमें 18 स्पेशलिटी और 17 सुपर स्पेशियलिटी विभागों का प्रावधान है। तथापि, जैसे-जैसे संस्थान प्रगति करते हैं और सुपर-स्पेशलिस्ट की उपलब्धता के आधार पर, ये संस्थान अपने सक्षम निकायों के अनुमोदन से अधिक विभागों की स्थापना भी कर सकते हैं।

समिति की टिप्पणी

(कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 8 देखें।)

<u>टिप्पणियां/सिफारिशें (पैरा संख्या 3)</u>

सभी एम्स में निदेशक के पदों में समानता लाने की आवश्यकता

उनके 12वें मूल प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों में समिति ने निम्नानुसार कहा था:

"समिति यह नोट करके आश्चर्यचकित है कि एम्स दिल्ली को छोड़कर, जिसके प्रमुख निदेशक (65 वर्ष की आयु सीमा के साथ) हैं, जबकि अन्य नए 16 एम्स के प्रमुख कार्यकारी निदेशक (70 वर्ष की आयु सीमा) हैं, जो समग्र रूप से संस्था के प्रभारी हैं। समिति को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा मौखिक साक्ष्य के दौरान और अपने लिखित उत्तरों में सूचित किया गया है कि प्रधानमंत्री

स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) की घोषणा 15 अगस्त, 2003 को एम्स, नई दिल्ली में उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं की तर्ज पर छह नए अस्पतालों की स्थापना के लिए की गई थी। इस घोषणा के अनुसरण में, नवंबर 2004 में व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के समक्ष एक प्रस्ताव रखा गया था, व्यय वित्त समिति ने बिहार में पटना, छत्तीसगढ़ में रायपुर, मध्य प्रदेश में भोपाल, ओडिशा में भुवनेश्वर, जोधपुर में राजस्थान और उत्तराखंड में ऋषिकेश छह एम्स जैसे प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों की स्थापना को मंजूरी दी थी। व्यय वित्त समिति ने सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक केंद्रीय शीर्ष संस्था के गठन को भी मंजूरी दी जिसका दायित्व एम्स जैसे इन छह संस्थानों की स्थापना और इनका संचालन करना है। ईएफसी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, इस प्रस्ताव को मार्च 2006 में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति के पास भेजा गया और सीसीईए ने इन संस्थानों की स्थापना और संचालन के लिए छह एम्स जैसे संस्थानों के साथ-साथ एक केंद्रीय शीर्ष संस्था के गठन को मंजूरी दी। लागत वृद्धि के कारण, संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) को मंजूरी देते हुए, फरवरी 2010 में एक प्रस्ताव फिर से मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया। आरसीई को मंजूरी देते हुए, मंत्रिमंडल ने इन छह एम्स- जैसे संस्थानों की स्थापना और संचालन में सेंट्रल एपेक्स सोसाइटी की भूमिका को भी रेखांकित किया। इसलिए, वर्ष 2006 से सितंबर 2012 तक, एम्स जैसे ये संस्थान एम्स अधिनियम का हिस्सा नहीं थे और इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर थे, जोकि एक केंद्रीय शीर्ष संस्था द्वारा शासित थे। सितंबर 2012 में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, में एक संशोधन किया गया था, जिसे अधिसूचित किया गया था। इस संशोधन में अधिनियम की धारा 27 (क) के अधीन इन नए एम्स जैसे संस्थानों को शामिल किया गया और यह उपबंध किया गया कि अधिनियम के सभी प्रावधान इन संस्थानों पर भी लागू होंगे। सितंबर 2012 में उन छह एम्स को संशोधित एम्स अधिनियम का एक भाग बनाए जाने का निर्णय लेने के पश्चात केंद्रीय शीर्ष संस्था का अस्तित्व समाप्त हो गया।

समिति नोट करती है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम कि धारा 11 यह उपबंध करती है कि संस्थान का एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) होगा जिसे संस्थान के निदेशक के रूप में नामित किया जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 2019 की धारा 31 में इस संबंध में उपबंध है कि निदेशक का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होगा।

इस दौरान, शीघ्र संचालन तथा एम्स, नई दिल्ली और अन्य राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आईएनआई), साथ ही साथ अन्य प्रमुख संस्थानों से प्रतिष्ठित संकाय को आकर्षित करने तथा नए एम्स और स्थापित किए

जाने वाले एम्स का नेतृत्व करने के उद्देश्य से नवंबर 2018 में व्यय विभाग और माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के अनुमोदन से निदेशक पद के साथ/या आधार पर कार्यकारी निदेशक (ईडी) का एक पद बनाने का एक नीतिगत निर्णय लिया गया था, जोकि संस्थान के सीईओ के रूप में कार्य करेगा। सीआईबी ने नए एम्स के लिए दो पदनामों को मंजूरी दी थी। एक पदनाम निदेशक का है जिसके लिए अधिनियम में 65 वर्ष की आयु निर्धारित है। दूसरा पदनाम 'कार्यकारी निदेशक' का है जिसे सीआईबी ने पुन: मंजूरी दे दी है जिसके लिए आयु सीमा 70 वर्ष है।

स्पष्टीकरण के लिए यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार को इस तरह का निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने हेतु अधिनियम में एक समर्थकारी उपबंध किया गया है, समिति को सूचित किया गया है कि अधिनियम की धारा 11(4) में यह उपबंध है कि, "इस तरह के नियमों के अधीन जो केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए जा सकते हैं, संस्थान अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कार्यों के निर्वहन हेतु उतनी संख्या में अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है जो कि आवश्यक हो और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के पदनाम और ग्रेड का निर्धारण भी कर सकता है।"

समिति का दृढ़ विचार है कि इस अधिनियम का उपबंध कहता है कि संस्थान के निदेशक या अन्य अधिकारी संस्थान के कर्मचारी हैं। इसलिए, अन्य अधिकारी और कर्मचारी निदेशक से वरिष्ठ नहीं हो सकते। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने समिति के समक्ष स्पष्ट रूप से यह कहा है कि अधिनियम में कार्यकारी निदेशक का उल्लेख नहीं है।

समिति नोट करती है कि अधिनियम में कार्यकारी निदेशक का उल्लेख नहीं है और सीआईबी के साथ-साथ, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और वित्त मंत्रालय तथा व्यय विभाग की सहमति के बाद निर्णय लिया गया ताकि नए एम्स के शीघ्र संचालन के उद्देश्य से और एम्स, नई दिल्ली और अन्य राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आईएनआई), साथ ही अन्य प्रमुख संस्थानों से प्रतिष्ठित संकाय को नए तथा स्थापित किए जाने वाले एम्स का नेतृत्व करने हेतु आकर्षित किया जा सके। समिति नए एम्स की स्थापना के समय उच्चतम स्तर पर लिए गए निर्णय की तात्कालिकता को स्वीकार करती है लेकिन साथ ही इस बात पर जोर देना चाहती है कि नए एम्स की स्थापना के लिए ईएफसी की मंजूरी के बाद 17 साल पूरे हो चुके हैं और मंत्रालय के पास पर्याप्त अनुभव है। इसलिए, अब उन्हें नए एम्स का नेतृत्व करने हेतु कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति के बजाय प्रत्येक नए एम्स में निदेशक की नियुक्ति के लिए अधिनियम के उपबंध का सख्ती से अनुपालन करना चाहिए। समिति एम्स को चिकित्सा उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में देखना चाहती

है जो केवल व्यवहार्यता और अनुभवी प्रतिभाओं के साथ ही संभव होगा; जो 70 वर्ष की आयु सीमा के साथ व्यवहार्य नहीं लगता है।

समिति का दृढ़ विचार है कि मंत्रालय को नए एम्स में निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए नई प्रतिभाओं के कैरियर के अवसरों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए, समिति पुरजोर सिफ़ारिश करती है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय नए एम्स की गुणवत्ता से कोई समझौता न करने के लिए सभी उपाय करें और पीएमएमएसवाई योजना के उद्देश्य को सुनिश्चित करें अर्थात देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा दे और एम्स अधिनियम के उपबंध का सख्ती से पालन करे।"

सरकार का उत्तर

वर्तमान में, जोधपुर, रायपुर, नागपुर और मंगलगिरी में एम्स को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में निदेशकों द्वारा संचालित किया जाता है। जैसा कि पहले समिति को सूचित किया गया था, एम्स, नई दिल्ली और अन्य राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आईएनआई), साथ ही साथ अन्य प्रमुख संस्थानों के प्रतिष्ठित शिक्षकों को नए और आगामी एम्स का नेतृत्व करने के लिए आकर्षित करने के लिए,व्यय विभाग और माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के अनुमोदन से, यह निर्णय लिया गया था कि निदेशक के पद के साथ या/उक्त आधार पर संचालित करने के लिए कार्यकारी निदेशक (ईडी) का पद रखा जाए जो संस्थान के सीईओ के रूप में कार्य करेगा। ईडी के मामले में, नियुक्ति की अधिकतम आयु 70 वर्ष तक की हो सकती है जिसके लिए विचारार्थ करने हेतु पात्रता की अधिकतम आयु 67 वर्ष है। ईडी के चयन का तरीका वही होगा जो निदेशक के पद के लिए निर्धारित है। साथ ही, ईडी के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता और अनुभव के संबंध में पात्रता मानदंड निदेशक के पद के समान ही होंगे।

हालांकि समिति की सिफारिशों को नोट कर लिया गया है। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर कहा गया है, निदेशक / कार्यकारी निदेशक के पद के साथ या/उक्त आधार पर संचालित होता है, जिससे मंत्रालय को संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निदेशक नियुक्त करने की छूट मिलती है।

समिति की टिप्पणी

(कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 11 देखें।)

अध्याय - पाँच

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

टिप्पणियां/सिफारिशें (पैरा संख्या 8)

नए एम्स के लिए भार मुक्त भूमि सौंपने की आवश्यकता

समिति ने पाया कि एम्स की स्थापना के लिए जमीन संबंधित राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराना जरूरी है। नए एम्स की स्थापना के लिए करीब 200 एकड़ जमीन की जरूरत है। समिति को सूचित किया गया है कि दरभंगा में एम्स के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित स्थल निचले इलाके में है और इस स्थल पर पहले से ही पानी की टंकी, बिजलीघर, डाकघर, बीएसएनएल यार्ड और कार्यालय तथा पुलिस स्टेशन जैसे कुछ निर्माण हैं । इसके अलावा एम्स, दरभंगा की साइट को राज्य सरकार द्वारा पूरी की जाने वाली कुछ शर्तों के अध्याधीन अंतिम रूप दिया गया। समिति को सूचित किया गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28.02.2019 को 1299 करोड़ रुपये की लागत से हरियाणा के मानेठी में एम्स की स्थापना को मंजूरी दी थी। हालांकि चिह्नित स्थल पर एम्स के निर्माण के लिए वन स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकी है। एम्स, मानेठी के मामले में समिति ने पाया कि मनेठी से सटे गांव में लगभग 175.85 एकड़ की वैकल्पिक भूमि की पहचान कर ली गई है और इस भूमि की सहमति से खरीद के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एम्स के निर्माण के लिए जमीन की मंजूरी की निगरानी के मुद्दे पर समिति को बताया गया है कि निगरानी के लिए दो तंत्र हैं। एक मंत्रालय के स्तर पर है जिसका नेतृत्व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार करते हैं और इसमें संबंधित राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के साथ-साथ वह निष्पादन एजेंसी भी हैं जिन्हें कार्य सौंपा गया है । दूसरा तंत्र प्रधानमंत्री कार्यालय के स्तर पर है। ये तंत्र न केवल भूमि के हस्तांतरण बल्कि निर्माण की प्रगति की स्थिति की समीक्षा करते हैं। इस तरह की नियमित निगरानी के बाद कुछ मामलों में प्रगति हुई है । नए एम्स के पूरा होने में 2 से 12 वर्ष तक के विलंब को ध्यान में रखते हुए समिति की इच्छा है कि नए एम्स की प्रगति की समीक्षा करने के लिए मौजूदा दो तंत्र मंत्रालय को भार मुक्त भूमि के सौपने में तेजी लाने के लिए सक्रिय तरीके से कार्य करेंगे । समिति की इच्छा है कि भूमि के लिए मंजूरी प्राप्त करने में और अधिक विलंब होने की स्थिति में या किसी अन्य मुद्दे पर, मंत्रालय को इस मामले पर संबंधित राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श करने के लिए संबन्धित संसद सदस्य के नोटिस में लाया जाए। समिति को इस संबंध में की गई प्रगति से अवगत कराया जाए।

जैसा कि मानेठी में बताया गया है कि पर्यावरण मंजूरी की समस्या को तत्काल आधार पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ उठाया जाना चाहिए ताकि एम्स का निर्माण संशोधित समय सीमा को समय के भीतर पूरा किया जा सके ।

सरकार का उत्तर

नए एम्स की स्थापना के लिए बाधारहित भूमि सौंपने के मामले पर, यह उल्लेख किया जाता है कि यह मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारों अर्थात बिहार सरकार और हरियाणा सरकार के समक्ष इस मामले को नियमित रूप से उठा रहा है। माननीय संसद सदस्य, दरभंगा राज्य सरकार के साथ लंबित मामलों, जिनमें बाधारहित भूमि शीघ्र सौंपना शामिल है, पर ध्यान देने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। हरियाणा में एम्स के संबंध में राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि जिला रेवाड़ी में गांव माजरा मुस्तिल भाल्की में 210 एकड़ 3 कनाल 5 मरला परिमाप की भूमि के लिए भूमि क्रय प्रकिया को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस मामले को माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री स्तर पर दिनांक 28.07.2022 के पत्र द्वारा हरियाणा के माननीय मुख्य मंत्री के समक्ष पुन: उठाया गया है ताकि अभिचिन्हित की गई भूमि के अधिग्रहण तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को इसे शीघ्र सौंपे जाने के कार्य में तेजी लाई जा सके।

समिति की टिप्पणी

(कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 23 देखें।)

<u>टिप्पणियां/सिफारिशें (पैरा संख्या 11)</u>

सभी एम्स की वास्तविक प्रगति

समिति नोट करती है कि रायबरेली में एम्स को शुरू में 05.02.2009 को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। और व्यय की संशोधित लागत को ईएफसी द्वारा 22.06.2017 को अनुमोदित किया गया था। मंत्रिमंडल ने इसे पूरा करने की अनुमोदित तारीख अप्रैल**, 2020** दी थी। इसे पूरा करने की संशोधित तिथि नवंबर**, 2021** कर दी गई है। इसलिए इसमें **1** साल और **7** महीने की देरी हो रही है। इस एम्स में ओपीडी ब्लॉक में अस्पताल और अकादमी कैंपस और आवासीय परिसर का काम पूरा हो चुका है। एमबीबीएस की कक्षाएं और ओपीडी की सुविधा शुरू हो गई है। आंध्र प्रदेश में एम्स मंगलगिरी में इसे **07.10.2015** को मंजूरी दी गई थी। मंत्रिमंडल ने इसे पूरा करने की तिथि अक्तूबर**, 2020** अनुमोदित की थी और इसे पूरा करने की अपेक्षित तिथि दिसबंर 2021 है। इसलिए **1** साल की देरी हो रही है। पहले

चरण में ओपीडी ब्लॉक और आवासीय परिसर को काफी हद तक पूरा कर लिया गया है। दूसरे चरण में 84 प्रतिशत अस्पताल और अकादमी कैंपस की एमबीबीएस कक्षाएं पूरी हो चुकी हैं और ओपीडी की सुविधा शुरू हो चुकी है। कोविड प्रयोगशाला सुविधाओं के साथ कोविड -19 उपचार के लिए आईआईपीडी को कार्यात्मक किया गया है । पश्चिम बंगाल के एम्स कल्याणी में कैबिनेट की मंजूरी की तारीख **07.10.2015** थी। मंत्रिमंडल ने इसे पूरा करने की तिथि अक्तूबर**, 2020** को अनुमोदित की थी और इसे पूरा करने की संभावित तिथि नवंबर **2021** है। इस प्रकार इसमें एक साल की देरी हुई है। इस मामले में पहले चरण में ओपीडी ब्लॉक और आवासीय परिसर को काफी हद तक पूरा कर लिया गया है। दूसरे चरण में अस्पताल और अकादमी कैंपस काफी हद तक पूरा हो चुका है। एमबीबीएस की कक्षाएं और ओपीडी की सुविधा शुरू हो चुकी है। समिति ने वर्ष **2021** के सितंबर महीने में इस एम्स के अध्ययन दौरा के समय देखा था कि एमबीबीएस कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम को अभी अकादमिक समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना था और एमबीबीएस छात्रों के लिए प्रयोगशाला की कोई सुविधा नहीं थी। उत्तर प्रदेश के एम्स गोरखपुर को मंत्रिमंडल ने 20.07.2016 को मंजूरी दी थी। कैबिनेट ने इसे पूरा करने की तारीख अप्रैल 2020 को मंजूरी दी थी और इसे पूरा करने की संभावित तारीख नवंबर 2021 है। ईपीसी मोड में निर्माण में **88.50%** प्रगति हुई है। एमबीबीएस की कक्षाएं और ओपीडी की सुविधा शुरू हो चुकी है। पंजाब में एम्स भटिंडा को मंत्रिमंडल ने **27.07.2016** को मंजूरी दी थी। मंत्रिमंडल ने इसे पूरा करने की तारीख जून **2020** को मंजूरी दी थी और इसे पूरा करने की संभावित तारीख नवंबर **2021** है। ईपीसी मोड में निर्माण में **88.70%** प्रगति हुई है। एमबीबीएस की कक्षाएं और ओपीडी की सुविधा शुरू हो चुकी है। असम में एम्स गुवाहाटी को मंत्रिमंडल ने **24.05.2017** को मंजूरी दी थी। मंत्रिमंडल ने इसे पूरा करने की तारीख अप्रैल **2021** को मंजूरी दी थी और इसे पूरा करने की संभावित तारीख सितंबर **2022** है। ईपीसी मोड में निर्माण में **57.50%** प्रगति हुई है। इस एम्स में सिर्फ एमबीबीएस कक्षाएं ही शुरू की गई हैं। हिमाचल प्रदेश के एम्स बिलासपुर को मंत्रिमंडल ने 03.01.2018 को मंजूरी दी थी। कैबिनेट ने इसे पूरा करने की तारीख दिसंबर **2021** अनुमोदित की है और इसे पूरा करने की संभावित तारीख जून **2022** है। ईपीसी मोड के माध्यम से निर्माण में 72 प्रतिशत प्रगति हुई है। इस एम्स में सिर्फ एमबीबीएस कक्षाएं ही शुरू की गई हैं। दिसंबर 2021 से ओपीडी की सुविधा शुरू होने की संभावना है। तमिलनाडु के एम्स मदुरै को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित इसे पूरा करने की तारीख सितंबर 2022 है और अब इसे बढ़ाकर अक्टूबर 2026 कर दिया गया है। विस्तारित अवधि लगभग चार वर्ष है। इसके लिए एम्स स्थल को अंतिम रूप दे दिया गया है, निवेश-पूर्व कार्य चल रहा है, जेआईसीए मिशन द्वारा आरंभिक सर्वेक्षण फरवरी 2020 में शुरू किया गया था और परियोजना प्रबंधन सलाहकार की

नियुक्ति की जा रही है। राज्य सरकार का और एम्स मदुरै के साथ चालू शैक्षणिक सत्र से अस्थायी परिसर से एमबीबीएस कक्षाएं शुरू करने के लिए परामर्श का कार्य चल रहा है। बिहार में एम्स दरभंगा को मंत्रिमंडल ने 15.09.2020 को मंजूरी दी थी। मंत्रिमंडल द्वारा इसकी पूर्ण होने की अनुमोदित तारीख सितंबर 2024 है और इसके नियत तिथि तक पूरा होने की आशा है। हालांकि, समिति नोट करती है कि आज तक दरभंगा में स्थल को अंतिम रूप दे दिया गया है लेकिन राज्य सरकार द्वारा को अभी भार मुक्त भूमि सौंपी जानी है। जम्मू में एम्स सांबा को मंत्रिमंडल ने 10.01.2019 को मंजूरी दी थी। मंत्रिमंडल द्वारा इसकी पूर्ण होने की अनुमोदित तारीख जनवरी 2023 है और इस नियत तिथि में इसके पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि समिति नोट करती है कि ईपीसी मोड के जरिए निर्माण में सिर्फ 32 फीसद प्रगति हुई है। कश्मीर में एम्स अवंतीपुरा को मंत्रिमंडल ने 10.01.2019 को मंजूरी दी थी। मंत्रिमंडल द्वारा इसकी पूर्ण होने की अनुमोदित तारीख जनवरी 2025 है और इस नियत तिथि तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि समिति इस बात को नोट करके चिंतित है कि ईपीसी मोड के माध्यम से निर्माण में केवल 6% प्रगति हुई है । झारखंड में एम्स देवघर को मंत्रिमंडल ने 16.05.2018 को मंजूरी दी थी। कैबिनेट ने इसे पूरा करने की अनुमोदित तारीख फरवरी 2022 दी थी और इसे पूरा करने की संभावित तारीख जून 2022 है। समिति नोट करती है कि कि ईपीसी मोड के माध्यम से निर्माण में 58 प्रतिशत प्रगति हुई है। एमबीबीएस कक्षाएं और ओपीडी की सुविधा शुरू कर दी गई है। दिनांक 10.01.2019 को गुजरात में एम्स राजकोट को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने पूर्ण होने की अनुमोदित तिथि अक्टूबर 2022 दी है और इस नियत तिथि तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि समिति यह पाती है कि ईपीसी मोड के जरिए निर्माण में सिर्फ 12 प्रतिशत की प्रगति हुई है। इस एम्स में सिर्फ एमबीबीएस की कक्षाएं शुरू की गई हैं। तेलंगाना में एम्स बीबी नगर को मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 17.12.2018 को मंजूरी दी गयी थी। मंत्रिमंडल द्वारा इसके पूरा करने की अनुमोदित तारीख सितंबर 2022 थी और अब इसके नवंबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस एम्स में एमबीबीएस की कक्षाएं और ओपीडी की सुविधा शुरू हो चुकी है। हरियाणा में एम्स मानेठी को मंत्रिमंडल द्वारा 28.02.2019 को मंजूरी दी गई थी। मंत्रिमंडल ने पूर्ण करने की अनुमोदित तारीख फरवरी 2023 दी है। हालांकि, समिति नोट करती है कि अभी तक राज्य सरकार द्वारा भार मुक्त भूमि सौंपा जाना बाकी है।

उपर्युक्त तथ्यों से समिति पाती है कि 16 एम्स में से 08 एम्स में एमबीबीएस की कक्षाएं और ओपीडी की सुविधा शुरू कर दी गई है। 04 एम्स में सिर्फ एमबीबीएस की कक्षाएं शुरू हुई हैं। समिति आगे पाती है कि भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश सभी 06 एम्स में सभी 18 स्पेशिएलिटी कार्यरत हैं। 17 सुपर स्पेशिएलिटी में से भोपाल, जोधपुर और पटना में कार्यशीलता की

स्थिति क्रमश 14 है और भुवनेश्वर और ऋषिकेश में यह क्रमशः 17 है। सभी एम्स में समर्पित कोविड सुविधाएं चालू हो चुकी हैं।

समिति इस बात पर हैरान है कि भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश जैसे छह नए एम्स में अभी भी कई सुपर स्पेशलिटी वार्ड कार्यरत नहीं हैं। यह समय के साथ निर्धारित लक्ष्यों की सही ढंग से प्राप्त न होने पर ढुलमुल रवैये की ओर इंगित करता है । सभी एम्स का निर्माण समय पर पूरा करने और उन्हें पूरी तरह से कार्यशील बनाने के लिए आगे की योजना के तौर पर, समिति को सूचित किया जाता है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की नियमित समीक्षा बैठकें कार्यकारी एजेंसियों और राज्य सरकारों के साथ आयोजित की जा रही हैं । प्रधानमंत्री कार्यालय के स्तर पर भी प्रगति पर नजर रखी जा रही है।

समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को प्रत्येक एम्स के लिए एक परियोजना समीक्षा पैनल का गठन करना चाहिए जो हर तिमाही में इमारतों के निर्माण के साथ-साथ चिकित्सा सुविधाओं के वास्तविक लक्ष्यों का मूल्यांकन करेगा और यदि कोई ढिलाई हो, तो उसे मंत्रालय को रिपोर्ट करेगा और मंत्रालय कठिनाइयों की जांच कर सकता है और समय पर उनका समाधान कर सकता है। समिति को यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि प्रगति के मूल्यांकन में ड्रोन का उपयोग मंत्रालय के एजेंडे में से एक है । समिति मंत्रालय से आग्रह करेगी कि इस तरह की समीक्षा जल्द से जल्द शुरू की जाए ताकि सभी एम्स का निर्माण समय बढ़ाए बिना निर्धारित समय पर पूरा किया जा सके और जल्द से जल्द पूरी तरह से उन्हे कार्यशील बनाया जा सके तथा समिति को उसकी जानकारी दी जाए।

समिति की टिप्पणी

(कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 26 देखें।)

<u>टिप्पणियां/सिफारिशें (पैरा संख्या 12)</u>

समर्पित अनुसंधान गतिविधियां

चिकित्सा का क्षेत्र मुख्य रूप से अपनी प्रभावकारिता और विकास के लिए निरंतर अनुसंधान पर निर्भर है। अनुसंधान और विकास चिकित्सा क्षेत्र की एक अंतर्निहित विशेषता है। यह पूछे जाने पर कि क्या सभी एम्स में अनुसंधान और रोगियों दोनों के लिए प्रयोगशाला सुविधाएं क्रियाशील हैं, समिति को सूचित किया जाता है कि सभी छह कार्यात्मक एम्स में प्रयोगशाला सुविधाएं मौजूद हैं जिनका उपयोग रोगी

सेवाओं और अनुसंधान गतिविधियों, दोनों के लिए किया जाता है । स्पेशियलिटी और सुपर स्पेशियलिटी विभागों की कार्यक्षमताओं और संकायों की उपलब्धता के आधार पर, ये संस्थान एक्स्ट्रा –म्यूरल और इंट्रा-म्यूरल शोध करते हैं। हालांकि अनुसंधान के लिए मंत्रालय द्वारा कोई अलग आवंटन नहीं है । समिति का इस बात पर दृढ़ मत है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को इस मामले को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के समक्ष उठाना चाहिए ताकि अनुसंधान गतिविधियों के लिए अलग से आवंटन हो और अतः स्पेशियलिटी और सुपर स्पेशियलिटी के आवश्यक पद को भरा जा सके क्योंकि यह लैब सुविधाओं की उपलब्धता से जुड़ा हुआ है।

समिति नोट करती है कि नई दिल्ली स्थित एम्स में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बायो टेक्नोलॉजी विभाग , इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आदि द्वारा एक्स्ट्राम्यूरल रिसर्च फंडिंग शुरू की गई है। हालांकि समिति को इस बात का दुख है कि स्वास्थ्य सेवाओं का प्रतीक माने जाने वाले एम्स दिल्ली जैसे संस्थान अपने अनुसंधान शीर्ष के अधीन पूरी तरह से धन राशि खर्च नहीं करते हैं। समिति पाती है कि वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए संस्था की कुल प्राप्तियां (अनुसंधान के लिए) 1,162,738,574.28 लाख रुपये, 1647870753.89 लाख रुपये और 1643432507 लाख रुपये थे। वर्ष 2018-19 के दौरान कुल खर्च (अनुसंधान के लिए) 1107715966 लाख रुपये, वर्ष 2019-20 के दौरान 1448611449 लाख रुपये और वर्ष 2020-21 के दौरान 1218124390 लाख रुपये है। समिति चाहेगी कि मंत्रालय सभी एम्स से आग्रह करे कि वे पूरी तरह से शोध गतिविधियों पर ध्यान दें, तभी चिकित्सा के क्षेत्र में पूर्ण विकास संभव हो सकेगा। समिति का दृढ़ विचार है कि भारत जैसे देश में जहां अधिकांश आबादी के लिए सस्ती चिकित्सा सहायता अनिवार्य आवश्यकता है, वहां एम्स जैसे अग्रणी चिकित्सा संस्थानों द्वारा सुस्थापित अनुसंधान पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए ।

यह पूछे जाने पर कि क्या एम्स की अनुसंधान टीम ने पंजाब और हरियाणा की नहरों के रासायनिक दूषित पानी पर कोई अध्ययन किया है जो कि उन क्षेत्रों में कैंसर का प्रमुख कारण है, समिति को सूचित किया गया है कि "ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है" ।

स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए समिति ने यह इच्छा ब्यक्त की कि मंत्रालय इस पहलू पर उचित अनुसंधान करे और इसके लिए उपचारात्मक उपाय सुझाए ।

सरकार का उत्तर

सभी एम्स प्रयोगशाला सुविधा केंद्रों का रोगी परिचर्या और अनुसंधान- दोनों के लिए उपयोग किया जा रहा है। अव्ययीत निधियों के संबंध में, यह बाह्य निधियों से संबंधित है, जो संस्थान को अन्य एजेंसियों

द्वारा प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं के लिए प्राप्त होता है। संस्थानों को सलाह दी जाएगी कि वे अपनी शोध निधियों के उपयोग में सुधार करें। पंजाब और हरियाणा की रासायनों से दूषित जल नहरों से उन क्षेत्रों में कैंसर के मामलों पर पड़ने वाले प्रभाव पर अनुसंधान संबंधी समिति की सिफारिशों पर कार्य किया जाएगा।

समिति की टिप्पणी

(कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 29 देखें।)

<u>टिप्पणियां/सिफारिशें (पैरा संख्या 15)</u>

एम्स दिल्ली में अधिकृत और मौजूदा स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट

समिति यह नोट करती है कि दिल्ली एम्स में शिक्षण स्टाफ की कुल स्वीकृत संख्या 1115 है। इसकी तुलना में वर्तमान में नियमित पदों पर 746 और संविदात्मक आधार पर 55 है। कुल 314 रिक्तियां है। 314 की कुल रिक्तियों में से स्थापित किये जा रहे केंद्रों / ब्लॉक / फैसिलिटीयों में 157 रिक्तियां हैं।

समिति को सूचित किया गया है कि रिक्त पदों को भरने के लिए प्रयास किये जा रहा हैं। इन रिक्तियों को मौजूदा आरक्षण रोस्टर के साथ नियमित आधार पर 2020 में विज्ञापित किया जाना था लेकिन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 23.02.2027 के पत्र द्वारा सरकारी अनुदेश के कारण एम्स में शिक्षण स्टाफ की भर्ती के लिए आरक्षण रोस्टर को फिर से तैयार करने के लिए इस विज्ञापन को फिर से रोक दिया गया। शिक्षक संवर्ग में आरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार संस्थान आरक्षण रोस्टर को फिर से तैयार करने की प्रक्रिया में है। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है और आरक्षण रोस्टर को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसके बाद जल्द ही रिक्त पदों का विज्ञापन निकाला जाएगा।

समिति आशा करती है कि मंत्रालय और समय गंवाए बगैर रिक्त पदों को भरने के लिए उचित कार्रवाई करे और उसे इस संबंध में की गई अंतिम कार्रवाई से अवगत कराए।

सरकार का उत्तर

केंद्रीय शैक्षिक संस्था (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 के कार्यान्वयन के लिए आरक्षण रोस्टरों को फिर से तैयार करने की आवश्यकता थी और इस संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे। तदनुसार, सहायक प्रोफेसर के आरक्षण रोस्टर

को अंतिम रूप दिया गया है। नर्सिंग संकाय, चिकित्सा अधीक्षक और प्रोफेसरों के आरक्षण रोस्टर को रोस्टर समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है और इन रोस्टरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके अलावा, 46 पदों को छोड़कर, जिनके लिए भर्ती नियम/ नामावली संशोधन किया जा रहा है, रिक्त पदों को भरने के लिए नवंबर, 2021 में सहायक प्रोफेसर के 252 पदों का विज्ञापन दिया गया था। भर्ती नियम/नामावली को अंतिम रूप देने के बाद इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। कॉलेज ऑफ नर्सिंग के एसोसिएट प्रोफेसर के 03 रिक्त पद और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के 01 रिक्त पद के लिए जल्द ही विज्ञापन निकाला जाएगा। सीधी भर्ती वाली प्रोफेसर की 96 रिक्तियों के लिए प्रशासनिक कारणों से चयन प्रक्रिया आयोजित नहीं की जा रही है।

समिति की टिप्पणी

(कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 32 देखें।)

नई दिल्ली
16 मार्च, 2023
25 फाल्गुन, 1944 (शक)

गिरीश भालचन्द्र बापट
सभापति
प्राक्कलन समिति

परिशिष्ट 1

प्राक्कलन समिति (2022-23) की सोलहवीं बैठक के कार्यवाही सारांश

समिति ने गुरुवार, 16 मार्च, 2023 को 1500 बजे से 1530 बजे तक कक्ष संख्या '52-B', प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में बैठक की।

उपस्थित

श्री निहाल चंद चौहान – संयोजक

2. कुँवर दनिश अली
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री पी. पी. चौधरी
5. डॉ. संजय जायसवाल
6. श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंदरिया
7. श्री धर्मेंद्र कुमार कश्यप
8. डॉ.के.सी.पटेल
9. श्री राजीव प्रताप रुडी
10. श्री विनायक भाऊराव राऊत
11. श्री मागुण्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी
12. श्री अशोक कुमार रावत
13. श्री फ्रांसिस्को सारदीना
14. श्री जुगल किशोर शर्मा
15. श्री प्रताप सिम्हा
16. श्री श्याम सिंह यादव
17. श्री दिलीप शइकीया
18. श्रीमति संगीता कुमारी सिंह देव

सचिवालय

1.	श्रीमती अनीता भट्ट पंडा	-	अपर सचिव
2.	श्री मुरलीधरन. पी	-	निदेशक
3.	श्री आर. सी. शर्मा	-	अपर निदेशक

2. प्रारंभ में, अध्यक्ष ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक के एजेंडे अर्थात तीन प्रारूप रिपोर्ट (रिपोर्टों) पर विचार करना और उन्हें अपनाना, के बारे में जानकारी दी। ।

3. इसके बाद समिति ने निम्नलिखित मसौदा प्रतिवेदनों पर विचार करने और उन्हें अपनाने का कार्य शुरू किया:

(i) xxx xxx

(ii) ''सभी एम्स की प्रगति की समीक्षा'' विषय पर समिति की 12वीं रिपोर्ट (17वीं लोकसभा) में निहित टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई;

(iii) xxx xxx

4. समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद की गई कार्रवाई प्रतिवेदन के मसौदे को अपनाया। तत्पश्चात् समिति ने अध्यक्ष को प्रारूप प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और उसे लोक सभा में प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया।

5. xxx xxx

तत्पश्चात कमेटी की बैठक स्थगित हो गई।

[खंडन: हिंदी संस्करण में किसी संदेश/ व्याख्या की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को प्रामाणिक माना जाना चाहिए]

परिशिष्ट दो

प्राक्कलन समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई विश्लेषण

(सत्रहवीं लोकसभा)

(i)	सिफारिशों/टिप्पणियों की कुल संख्या	18
(ii)	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है: (क्र. सं. 1,4,5,6,7, 9,13,14,16,17,18)	11
	कुल सिफारिशों का प्रतिशत	61.11%
(iii)	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती: (क्र. सं. 2, 3)	2
	कुल सिफारिशों का प्रतिशत	11.11%
(iv)	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती: (क्र. सं. 10)	1
	कुल सिफारिशों का प्रतिशत	5.55%
(v)	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं : (क्र. सं. 8,11,12,15)	4
	कुल सिफारिशों का प्रतिशत	22.22%